श्री पुष्कर सिंह धामी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड राज्य

Industrial Training Institute

NAPS

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

श्री सौरभ बहुगुणा
माननीय मंत्री कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड सरकार

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

प्रशिक्षण प्रखण्ड, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, देहरादून, उत्तराखण्ड

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन.सी.वी.ई.टी. मान्यता प्राप्त व्यवसायों में प्रवेश हेतु विवरणिका (निःशुल्क)

प्रवेश विवरणिका 2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि - 08/06/2026

परिषद से पत्र व्यवहार का पता - तृतीय तल, राजकीय महिला आई.टी.आई परिसर 26 ई.सी. रोड, सर्वे चौक, देहरादून।

फोन नं: 07302663922 | 07302663907

www.vpputtarakhand.in

उत्तराखण्ड राज्य

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग प्रशिक्षण प्रखण्ड

Industrial Training Institute

सचिव	निदेशक
श्री सी. रविशंकर	श्री संजय कुमार
(आई.ए.एस.)	(आई.ए.एस.)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

आई.टी.आई. हल्द्वानी परिसर रामपुर रोड, हल्द्वानी उत्तराखण्ड

फोन नं: 05946-234866/235659

व्यावसायिक परीक्षा परिषद

तृतीय तल, राजकीय महिला आई.टी.आई. परिसर, 26 ई.सी. रोड, सर्वे चौक, देहरादून।

फोन नं: 7302663922

Email - vpp.iti.uk@gmail.com

सौरभ बहुगुणा
मंत्री
पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन

उत्तराखण्ड सरकार

विधान सभा भवन, देहरादून
कक्ष संख्या 17,
दूरभाष : 0135-2665121 (का.)
फैक्स : 0135-2665080
पत्रांक : ....
दिनांक : ....

संदेश

भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत एवं कृत संकल्पित हैं। युवाओं के कौशल में वृद्धि उनके एजेण्डे में सर्वोच्च है। हमारा देश, युवाओं की आबादी वाला देश है। युवाओं की उर्जा का सही दिशा में उपयोग किये जाने हेतु भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त संकल्प को पूरा करने की दिशा में कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों की गुणवत्ता में वर्तमान लोकप्रिय सरकार के समय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा इनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा प्रदेश व देश के विकास में सार्थक योगदान दे रहे हैं एवं विकास में त्वरित गति ला रहे हैं।

राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र के लिये विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निःशुल्क विवरणिका उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इन संस्थानों में प्रवेश पश्चात गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिये प्रशिक्षण विभाग पूर्णतया तत्पर रहेगा।

मैं समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अवधि तथा उसके पश्चात उनके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता हूँ।

(सौरभ बहुगुणा)

निवासः आवास संख्या आर-8, यमुना कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001

उत्तराखण्ड में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों का सम्पर्क विवरण

क्र.सं.	जनपद	संस्थान	प्रधानाचार्य	मोबाईल
1	देहरादून	युवक देहरादून	श्री दिनकर रौतेला	7017009803
2		महिला देहरादून	श्री दिनकर रौतेला	7017009803
3		राजपुर रोड दे०दुन	श्री जैशी राम चन्देल	9411170952
4		मसूरी		
5		विकासनगर	श्री बीरेन्द्र सिंह	8475055114
6		कालसी	श्री मनोज थापा	9350132648
7		त्यूनी	श्री मनोज थापा	9350132648
8	उत्तरकाशी	बडकोट	श्री हरिप्रसाद सेमवाल	9456375630
9		उत्तरकाशी	श्री प्रभात नेगी	9720348799
10		पुरोला	श्री हरिप्रसाद सेमवाल	9456375630
11		मोरी	श्री हरिप्रसाद सेमवाल	9456375630
12		चिन्यालीसौड़	श्रीमती नीलम	8171345193
13	टिहरी	नई टिहरी	श्रीमती पल्लवी	9897717373
14		चम्बा	श्री अमर सिंह रावत	8791370515
15		चमियाला	श्रीमती पल्लवी	9897717373
16		रजाखेत	श्री अमर सिंह रावत	8791370515
17		थत्यूड़	श्रीमती पल्लवी	9897717373
18		झिनझिनीसैण	श्रीमती पल्लवी	9897717373
19		रौड़धार	श्रीमती पल्लवी	9897717373
20		मुनिकीरेती	श्री स्वराज सिंह	9411580418
21		देवप्रयाग	सुश्री नेहा	8477020746
22		अंजनीसैण	श्रीमती पल्लवी	9897717373
23	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	श्री कुलदीप टकोला	8979224026
24		ऊखीमठ	श्री कुलदीप टकोला	8979224026

25	चमोली	कर्णप्रयाग	श्री दीपक चौधरी	7302663934
26		गोपेश्वर	श्रीमती शिप्रा थपलियाल	7505632237
27		तपोवन	श्रीमती शिप्रा थपलियाल	7505632237
28		पोखरी	श्रीमती शिप्रा थपलियाल	7505632237
29		गैरसैंण	श्री दीपक चौधरी	7302663934
30		नारायणबगड़	श्री दीपक चौधरी	7302663934
31		नन्दासैण	श्री दीपक चौधरी	7302663934
32		देवाल	श्री दीपक कुमार चौधरी	7302663934
33	पौड़ी	श्रीनगर	श्री संजीव कुमार	7302663913
34		थलीसैंण	श्री संजीव कुमार	7302663913
35		दुगड्डा	श्री गोविन्दा	9411762177
36		सल्डमहादेव	श्रीमती मंजू आर्या	8393990885
37		पोखड़ा	श्री गौरव उनियाल	8077432922
38		कोटद्वार	श्री सुशील कुमार	9411373041
39		जयहरीखाल	श्री गोविन्दा	9411762177
40		एकेश्वर	श्री संजीव कुमार	7302663913
41	हरिद्वार	हरिद्वार	श्री अमित कल्याण	8077787920
42		पिरानकलियर	श्री आशीष नौटियाल	7579001835
43		खानपुर	श्री अमित कल्याण	8077787920
44		डेलना	श्री सुशांत स्वरूप	9465788175
45		नारसन	श्री राजेन्द्र जोशी	7900759890
46		वि० हरिद्वार	श्री चन्द्रशेखर पाण्डे	9412946513
47		लक्सर	श्री अमित कल्याण	8077787920
48		सिकरौढा	श्री सुशांत स्वरूप	9465788175

49	ऊधमसिंहनगर	काशीपुर	श्री जे०पी० टम्टा	7302663926
50		दिनेशपुर	श्री अरूण उनियाल	7060857727
51		गदरपुर	श्री भूपेन्द्र रावत	8449036334
52		बाजपुर	श्री राजीव पुष्कर	9568619895
53		सितारगंज	श्रीमती इतिका त्यागी	9149179996
54		जसपुर	श्री जे०पी० टम्टा	7302663926
55		खटीमा	श्रीमती इतिका त्यागी	9149179996
56		वि० पन्तनगर	श्री अरूण उनियाल	7060857727
57	नैनीताल	हल्द्वानी	श्री नितिन शर्मा	7906210599
58		भवाली	श्री विनोद कर्नाटक	7248205793
59		टाण्डी	श्रीमती शान्ति मेहरा	9837375320
60		बेतालघाट	श्रीमती सीमा कुमार	7454958278
61		ओखलकाण्डा	श्रीमती आशा पाण्डेय	7895266349
62		ढोकाने	श्री विनोद कर्नाटक	7248205793
63		कालाडुंगी	श्री आर०सी०पाल	9927526272
64		रामनगर	श्री आर०सी०पाल	9927526272
65		बिन्दुखत्ता	श्री शिव कुमार	9012044929
66		वि० भीमताल	श्री विनोद कर्नाटक	7248205793
67	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	श्री उदय राज	8194035386
68		ब्राइट एंड कॉर्नर	श्री दशरथ सिंह कठैत	9897825573
69		जयन्ती	श्री ललित पंत	9410121849
70		दौला	श्री उदय राज	8194035386
71		खुंट	श्री दशरथ सिंह कठैत	9897825573
72		धोलछीना	श्री विनेश कुमार	9760311647

73	अल्मोड़ा	सोमेश्वर	श्री दशरथ सिंह कठैत	9897825573
74		स्याल्दे	श्री विनेश कुमार	9760311647
75		दन्या	श्री विनेश कुमार	9760311647
76		मछोड	श्री आशुतोष उनियाल	7906899340
77		मासी	श्री विनेश कुमार	9760311647
78		बिन्ता	श्री आशुतोष उनियाल	7906899340
79	बागेश्वर	काण्डा	श्री रविन्द्र सहदेव	9917868143
80		कपकोट	श्री विनोद कुमार	9760264049
81	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	श्री दर्शन सती	9410977006
82		अस्कोट	श्री कविन्द्र कन्याल	8126335791
83		मुनस्यारी	श्री हरीश चन्द्र	7990222456
84		राईआगर	श्री दर्शन सती	9410977006
85		बनकोट	श्री दर्शन सती	9410977006
86		जाखपुरान	श्री दर्शन सती	9410977006
87		धारचूला	श्री हरीश चन्द्र	7990222456
88		पांखू	श्री दर्शन सती	9410977006
89	चम्पावत	चम्पावत	श्रीमती उमा जोशी	9412108141
90		खेतीखान	श्रीमती उमा जोशी	9412108141
91		टनकपुर	श्री लोकेश भट्ट	8869000236

उत्तराखण्ड राज्य

Industrial Training Institute

उत्तराखण्ड सरकार
आईटीआई प्रवेश - 2026

★ कौशल विकास ★ उज्जवल भविष्य ★ सशक्त उत्तराखण्ड ★

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया

01 पोर्टल पर जाएं
https://vpputtarakhand.in/

02 आईटीआई प्रवेश हेतु आवेदन करें
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

03 नया खाता बनाएं
"नया पंजीकरण" पर क्लिक करें (खाता बनाएं)

04 ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित करें
अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सत्यापित करें।

05 दस्तावेज़ और फोटो सत्यापित करें
दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें तथा चेकबॉक्स (✓) पर क्लिक करें।

06 मेरा खाता बनाएं
"मेरा खाता बनाएं" बटन पर क्लिक करें।

07 आवेदन फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत विवरण
- शैक्षिक विवरण
- अन्य आवश्यक विवरण / दस्तावेज़ अपलोड करें

08 आवेदन की समीक्षा करें
अंतिम जमा करने से पहले अपने आवेदन फॉर्म की समीक्षा अवश्य करें।

09 आवेदन शुल्क का भुगतान करें
आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपने आवेदन को जमा करें।
*शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें

10 आवेदन सफलतापूर्वक जमा करें
आवेदन संख्या और पुष्टि संदेश आयके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा।

सावधानी: आवेदन फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अपनी जानकारी सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. प्रवेश (आईटीआई एवं ट्रेड चयन) से संबंधित सूचनाएं ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएंगी।

कृपया अपना ईमेल और एसएमएस नियमित रूप से चेक करते रहें।

2. नियमित अपडेट के लिए, निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाएँ:

www.vpputtarakhand.in

www.ukgitivpp.com

3. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

7302663922

आईटीआई शिक्षा के लाभ

उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम

- कुशल युवाशक्ति
- बेहतर रोजगार
- उज्जवल भविष्य
- आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड

अभी ऑनलाइन आवेदन करें
https://vpputtarakhand.in/

यहाँ स्कैन करें

— आपका सशक्तिकरण – सशक्त उत्तराखण्ड —

– कौशल विकास, उज्जवल भविष्य, सशक्त उत्तराखण्ड –

उत्तराखण्ड राज्य

Industrial Training Institute

UTTARAKHAND GOVERNMENT ITI ADMISSION - 2026

★ SKILL DEVELOPMENT ★ BRIGHTER FUTURE ★ STRONG UTTARAKHAND ★

ONLINE REGISTRATION PROCESS

01 VISIT PORTAL
https://vpputtarakhand.in/

02 APPLY FOR ITI ADMISSION
Fill the application form and provide required information.

03 CREATE NEW ACCOUNT
Click on "New Registration" (Create Account)

04 VERIFY EMAIL & MOBILE NUMBER
Verify your email ID and mobile number.

05 VERIFY DOCUMENTS & PHOTO
Upload documents and photo and click on the checkbox (✓).

06 CREATE MY ACCOUNT
Click on "Create My Account" button.

07 FILL APPLICATION FORM
- Personal Details
- Educational Details
- Other Required Details / Upload Documents

08 PREVIEW APPLICATION
Preview your application form before final submission.

09 PAY APPLICATION FEE
Pay the application fee and submit your application.
*Pay fee and submit application"

10 APPLICATION SUCCESSFULLY SUBMITTED
Application No. and confirmation will be sent to your registered mobile number and email after successful submission.

CAUTION: Use your own details while filling the application form. Keep your application information safe.

IMPORTANT INFORMATION

1. Notifications for admission (ITI & Trades choice) will be sent through email and SMS. Please check your email and SMS regularly.

2. For regular updates, visit the following websites:
   - www.vpputtarakhand.in
   - www.ukgitivpp.com

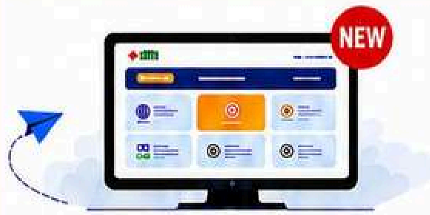

3. For any kind of help, contact the helpline number below.

7302663922

BENEFITS OF ITI EDUCATION A BRIGHT FUTURE

SKILLED YOUTH | BETTER EMPLOYMENT | BRIGHTER FUTURE | ATMANIRBHAR UTTARAKHAND

APPLY ONLINE NOW
https://vpputtarakhand.in/

SCAN HERE

YOUTH EMPOWERMENT – STRONG UTTARAKHAND
Skill Development, Strong Uttarakhand's Development.

प्रस्तावना

"21वीं सदी की मांग है कि युवा न केवल शिक्षित हों, बल्कि उनमें कौशल भी हो। अगर आप में हुनर है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए, आईटीआई का चुनाव करना सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य का चुनाव है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय (NCVET) का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरुप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्त उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं औद्यागिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की क्षमता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है।

उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं राज्य में सीमित औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के युवाओं को कुशल कारीगर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इससे राज्य के युवाओं को औद्योगिक रोजगार के अवसर सुलभ होंगे और उनको स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित किया जा सकेगा, ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और राज्य से पलायन को भी रोका जा सके। इस प्रकार राज्य में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करके उद्योगों के लिये कुशल कारीगर उपलब्ध कराना एवं सभी शिक्षित युवाओं का कौशल विकास (Skill Development) करके औद्योगिक रोजगार व स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

इन औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को कुशल कारीगर के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०ई०टी०) एवं राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०ई०टी०) से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। इन संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष से लेकर 02 वर्ष तक हो सकती है और प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता 8वीं से लेकर 10वीं उत्तीर्ण तक होती है, जो कि विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। Craftsman Training Scheme (CTS) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नही है। **विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत राज्य के प्रतिष्ठित औद्योगिक आस्थानों यथा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मॉटोकॉप्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा आदि के साथ एमओयू किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त योजना में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्विवर्षीय व्यवसाय हेतु 6 से 12 माह तथा एक वर्षीय व्यवसाय हेतु 03 से 06 माह का प्रशिक्षण इन्डस्ट्री में कार्य करते हुए प्राप्त करेंगें एवं शेष अवधि का प्रशिक्षण आई०टी०आई० में प्राप्त करेंगें। Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है।** राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में National Skill Qualification Frame Work (NSQF) संरेखित निर्धारित लेवल 3-4 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य गठन के पूर्व प्रदेश में 63 आई०टी०आई० संचालित थी। राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं जनमानस की मांग को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में राज्य में कुल 153 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 82 निजी संस्थान एवं 06 गैर विभागीय (समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित) प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं।

वर्तमान में प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत 91 रा०आई०टी०आई० राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०ई०टी०) भारत सरकार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संचालित है। उक्त के अतिरिक्त स्वतः रोजगार के दृष्टिगत वर्तमान में 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०टी०) के अन्तर्गत भी संचालित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में NCVET मान्य संस्थान, व्यवसायों, उनमें स्वीकृत सीट एवं प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल www.dgt.gov.in पर अत्यावधिक सूचनाएँ उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०ई०टी०) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०ई०टी०) द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाता है। परिषद द्वारा निर्धारित पाठक्रमानुसार विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अखिल भारतीय व्यावसायिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष जून-जुलाई माह में आयोजित की जाती है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् द्वारा प्रवेश डीजीटी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर किये जाते है।

विवरण पुस्तिका भली-भाँति पढ़कर ही ऑन-लाईन आवेदन करें।

अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देशः-

आवेदन हेतु योग्यता-

1. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके माता पिता का मूल एवं स्थायी निवास उत्तराखण्ड का कोई जनपद रहा हो भले ही अर्हता परीक्षा अन्य स्थानों उत्तीर्ण की हो।

अथवा

2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके द्वारा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता परीक्षा उत्तराखण्ड के किसी भी जनपद से उर्तीण की गयी हो।

अथवा

3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिसके माता पिता भारत सरकार / राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निगमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कार्यरत है एवं अभ्यर्थी उनका पुत्र/पुत्री है।

प्रवेश हेतु आयु सीमा-

1. 01 अगस्त, 2026 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (DST व्यवसायों से इतर)। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-08-2012 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
2. Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित है।

प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था -

शासनादेश संख्या 32/xxx (2)/2014-03(11)/2012 दिनांक 06 मई 2014, 1144 / कार्मिक-2-2001 - 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001, 1415/का-2/2001 दिनांक 30 अगस्त, 2001, 1472 / कार्मिक-2/2002 दिनांक 07 नवम्बर, 2002, 1087 / सत्रह-वि-1-1 (क) 12-1997 दिनांक 31 जुलाई, 1997 के अनुपालन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जायेगी-

ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

क्रमांक	आरक्षित वर्ग	अनुमन्य आरक्षण
1	अनुसूचित जाति (SC)	19%
2	अनुसूचित जनजाति (ST)	4%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14%
4	ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)	10%

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क्रमांक	आरक्षित वर्ग	अनुमन्य आरक्षण
1	भूतपूर्व सैनिक आश्रित (DFF)	2%
2	भूतपूर्व सैनिकों / अर्ध / मृतक सैनिकों के आश्रित (AF)	5%
3	दिव्यांग (PH)	4%
4	महिला अभ्यर्थी (W)	30%

उर्ध्व / क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वैध प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।

नोट-

1. जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगा / होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था ने प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता / चयन निरस्त समझा जायेगा।

4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।

5. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC, EWS) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन शुल्क का विवरण :-

1. अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु :- **रू. 250/-**
2. अन्य सभी वर्गों हेतु :- **रू0 350/-**

स्वास्थ्य :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्य दक्षता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन डीजीटी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमो एवं मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। उक्त का अवलोकन डीजीटी भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम पर किया जा सकता है। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्में या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने का दोष नहीं होना चाहिए। आंखों की रोशनी दोनों आंखों में 6/18 या एक आंख में 6/24 बिना चश्में के होना चाहिए। एक आंख वाले अभ्यर्थी जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र है।

प्रवीणता / मैरिट सूची की प्रक्रिया :-

1. प्रवीणता / मैरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा 10वीं एवं 8वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग-अलग बनाई जायेगी।

2. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित समस्त अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय प्रवीणता / मैरिट सूची का प्रकाशन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा।

3. प्राप्तांक प्रतिशत की गणना हेतु अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, सम्बन्धित बोर्ड द्वारा प्रतिशत गणना हेतु निर्धारित मानक ही मान्य होंगें। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी अंकतालिका की भली-भांति जॉच / परीक्षण कर ही प्राप्तांक / पूर्णांक का अंकन ऑनलाइन आवेदन में करेंगें। समतुल्य ऐसे बोर्ड, जहां प्रतिशतांक के स्थान पर ग्रेड/सी.जी.पी.ए. द्वारा अंकपत्र निर्गत किये जाते हैं, वहां सम्बन्धित बोर्ड द्वारा निर्धारित गुणांक से प्रतिशतांक की गणना की जायेगी।

4. अभ्यर्थी के प्राप्तांक / पूर्णांक प्रतिशत की गणना दशमलव के 02 स्थानों तक की जायेगी।

5. 8वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 8वीं के प्रमाण पत्र लगाये जाने की स्थिति में 8वीं शैक्षित अर्हता वाले व्यवसायों हेतु तथा 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 8वीं व 10वीं अर्हता वाले व्यवसायों हेतु पात्र माना जायेगा। 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मात्र उसी स्थिति में पृथक 8वीं की मैरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा यदि उनके द्वारा 10वी के साथ-साथ 8वीं उत्तीर्ण का विवरण एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपलोड किये गये हो।

6. एक समान प्रतिशतांक वाले आवेदनकर्ताओं में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो क्रमशः गणित एवं विज्ञान के प्राप्तांक प्रतिशत को मानते हुए उसी क्रम में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उक्त के भी समान रहने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थी के नाम के पहले वर्ण (लैटर) के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में योग्यता सूची निर्माण के समय उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर से 10वीं उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता वाले आवेदनकर्ताओं को 05 प्रतिशतांक वरीयता अंक पृथक से आवंटित किये जायेगें एवं तद्नुसार प्रवीणता / मैरिट सूची तैयार की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धान्तः-

1. वर्तमान प्रवेश सत्र में ऑनलाईन आवेदन दो चरणों में लिऐ जायेंगें, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में अभ्यर्थी को साईनअप करने के उपरान्त व्यक्तिगत एवं शैक्षिणिक सूचनाएं अंकित करने के साथ अभिलेख अपलोड करने होंगें तथा द्वितीय चरण में संस्थान / व्यवसाय के विकल्प चयनित करने होगें।

2. प्रथम चरण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता का विवरण, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी सूचनाएं आदि अंकित करानी होगीं।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात आवेदित अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी की जायेगी।

4. द्वितीय चरण में डीजीईटी भारत सरकार द्वारा अन्तिम सीट मैट्रिक्स जारी किये जाने के उपरान्त परिषद् कार्यालय द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

5. सीट मैट्रिक्स अपलोड होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल को पुनः खोला जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड डाल कर अपने अकाउटं को लॉगईन किया जायेगा तथा तदोपरान्त अभ्यर्थी को अपने जिलेवार, संस्थानवार, व्यवसायवार वरीयता क्रम में विकल्प लॉक /अंकित करने होगें। अभ्यर्थी की मैरिट / रैंक के अनुसार उसके द्वारा चुने गये विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 विकल्प एवं अधिकतम 10 विकल्प वरीयता क्रम में लॉक किये जा सकेंगें।

6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय कराया जायेगा।

7. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किसी भी प्रकार के विवरणों का मिलान अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत मूल अभिलेखों से होना अनिवार्य है। मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. राज्य स्तरीय मैरिट सूची घोषित किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसकी रैंक सम्बन्धी रैंक कार्ड एवं संस्थान / व्यवसाय आंवटित होने की स्थिति में आवंटन पत्र अभ्यर्थी को ई-मेल तथा SMS के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे। रैंक कार्ड एवं आवंटन पत्र अभ्यर्थी के ऑनलाईन डैसबोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगें। आवंटन पत्र में अभ्यर्थी को आवंटित व्यवसाय / संस्थान तथा प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देश अंकित होंगे।

9. आरक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बध में समय-समय पर जारी नवीनतम शासनादेश प्रभावी होंगे।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया / दिशा-निर्देश

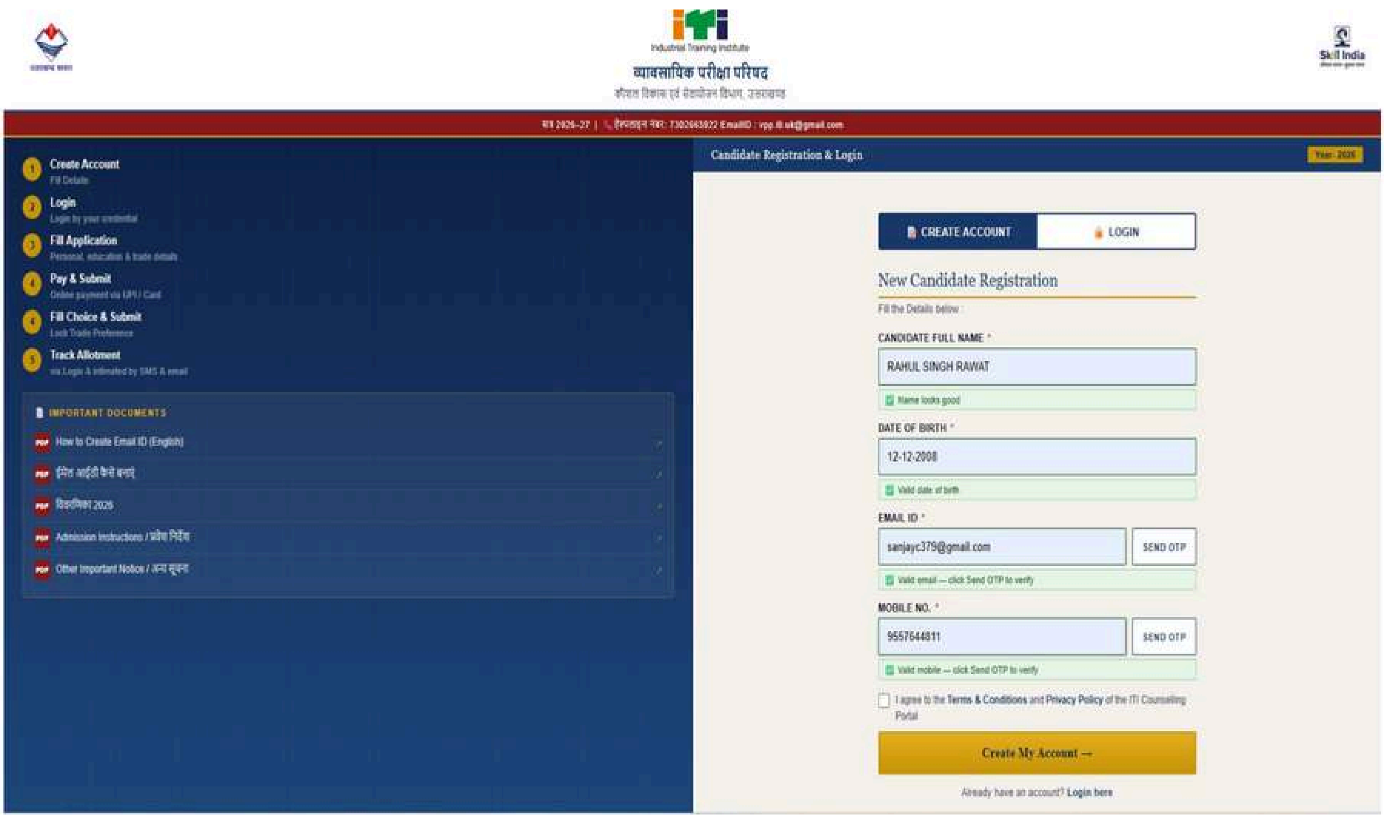

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून की वेबसाइट http://www.vpputtarakhand.in अथवा विभागीय वेबसाइट http://www.dsde.uk.gov.in को खोलना होगा। होम पेज पर प्रदर्शित लिंक "आईटीआई (NCVET) सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन करें" को क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। इस हेतु एक नया वेबपेज खुलेगा जिस पर आवेदन प्रक्रिया, ई-मेल कैसे बनायें आदि दिग्दर्शिकायें दी गयी हैं। प्रवेश प्रक्रिया 2026 हेतु अभ्यर्थी को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिसके लिये अभ्यर्थी का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, विवरण भरने होंगे। पंजीकरण हेतु वैध ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर का होना अनिवार्य है।

साथ ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व OTP के माध्यम से मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल का सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर स्वयं का ही दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सूचना के आदान प्रदान में असुविधा न रहे। यदि किसी अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पहले से न बनी हो तो उसे सर्वप्रथम अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी जिसे वेबपेज पर दी गयी लिंक 'ई-मेल कैसे बनाये' पर क्लिक कर पूर्ण प्रक्रिया को समझा जा सकता है। पंजीकरण हेतु वांछित प्रविष्टियों को भरने के उपरान्त Create Account पर क्लिक करें एवं वाछिंत सूचनाऐं यथा अभ्यर्थी का पूरा नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी० अंकित करते हुए मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी० का OTP के माध्यम से सत्यापन करें। इसके उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी० पर Registration Successful होने का SMS/E-mail प्राप्त होगा, जिसमें अभ्यर्थी की loginID (पंजीकृत ई-मेल आईडी) तथा पासवर्ड (जन्मतिथि (DDMMYYYY)) की जानकारी साझा की जायेगी।

Account Create होने के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड अंकित कर पोर्टल पर लॉगईन करना होगा।

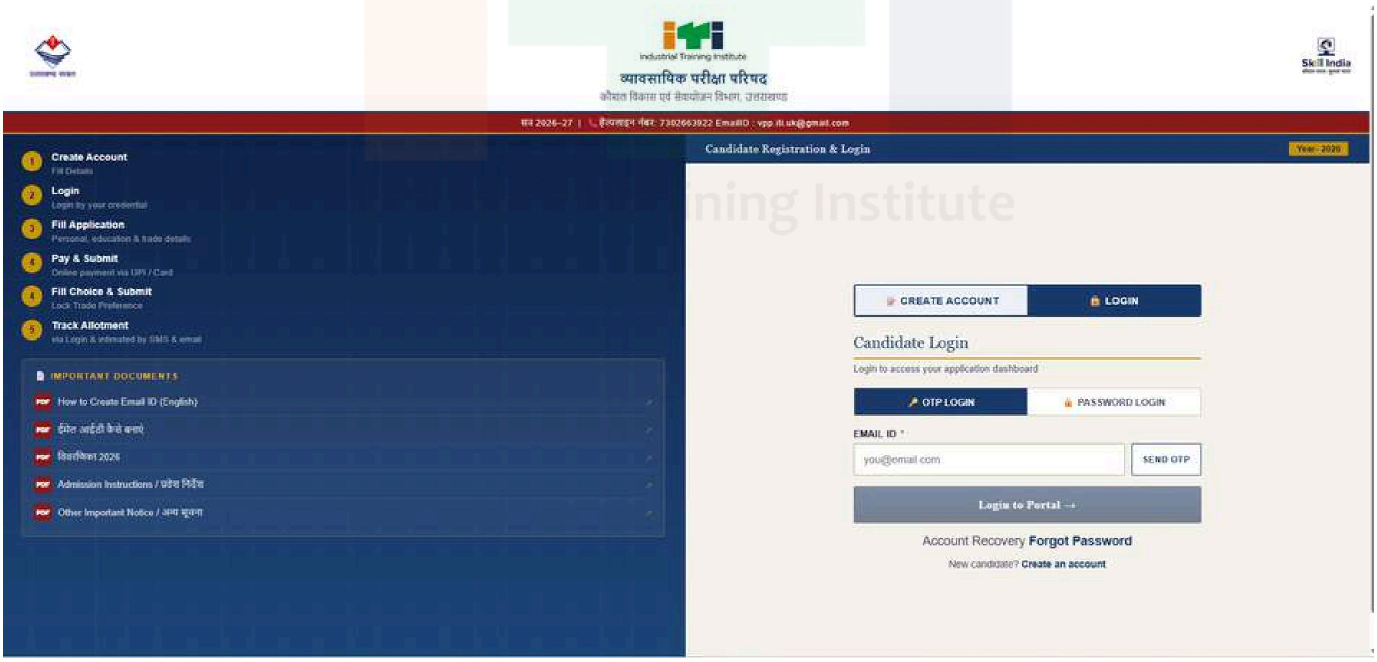

लॉगइन होने के उपरान्त सर्वप्रथम अभ्यर्थी पोर्टल के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित हो रहे Apply Now पर जाकर क्लिक करेगें तथा अभ्यर्थी को अपने अभ्यर्थन सम्बन्धी अनिवार्य अर्हता के प्रश्नों के उत्तर अंकित करने होगें। अभ्यर्थन हेतु कुल तीन प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न के सापेक्ष अभ्यर्थी योग्यता धारित होना अनिवार्य है।

Are You a Permanent/Domicile Resident of Uttarakhand?

(Yes/No का चयन करें।)

Have You Passed the Minimum Required Educational Qualification from Any District of Uttarakhand?

(Yes/No का चयन करें।)

Are You a Dependent (Son/Daughter) of an Employee of the Government of India / State Government / Public Sector Undertaking Who Is Currently Posted in Uttarakhand?

(Yes/No का चयन करें।)

उपरोक्त तीन प्रश्नों मे से किसी भी एक के सापेक्ष योग्यता धारित होने पर ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन हेतु पात्र होगा। तदोपरान्त अभ्यर्थी को निम्नानुसार आवेदन पत्र पर सूचनाएं अंकित करनी होगी।

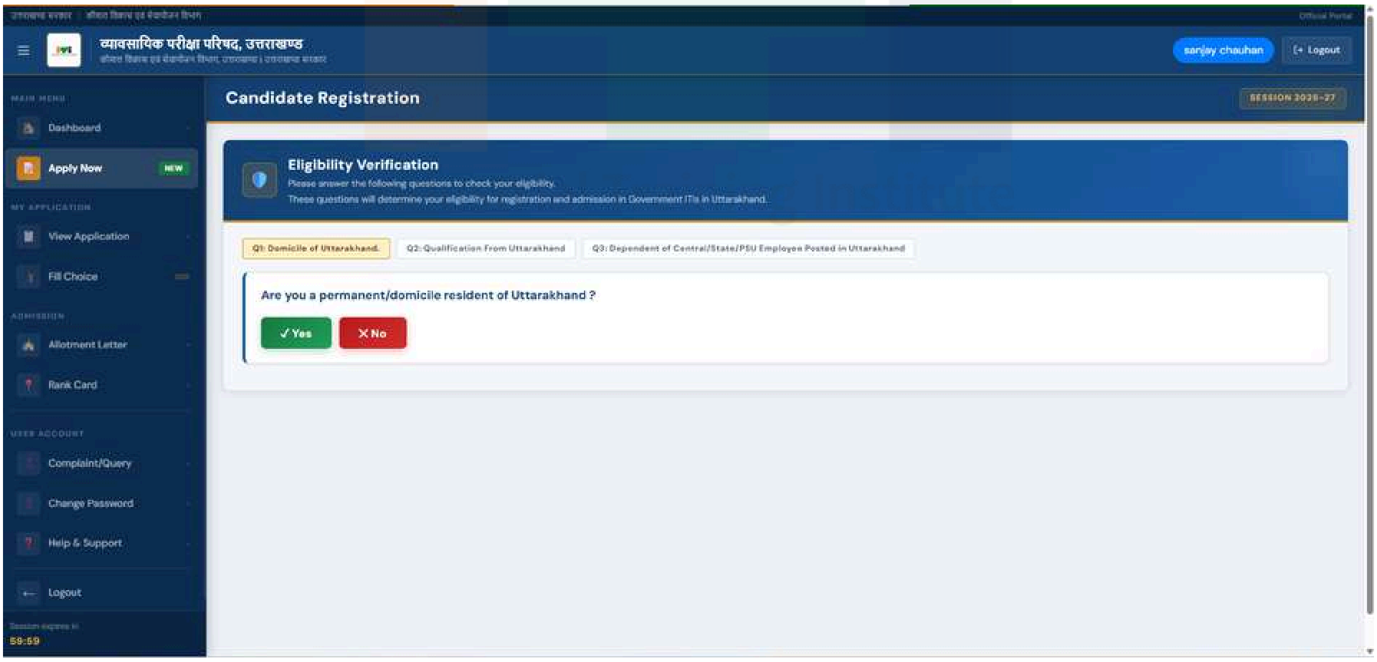

1. **Name of Applicant (अभ्यर्थी का नाम)**- ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम पोर्टल में दर्शाए गये कॉलम के अनुसार अंकित करें। नाम से पहले SHRI/SMT/KM आदि न लगायें।

2. **Date Of Birth (जन्मतिथि)**- इस कॉलम अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित है। तिथि के लिए अंग्रेजी अंक 01 से 31 का उपयोग करें, जन्म माह के लिए अंकित महीने के अंग्रेजी नाम का चयन करें एवं तदोपरान्त वर्ष का चयन करें।

3. **Gender (लिंग)**- यदि आप पुरूष हैं तो पुरुष के विकल्प का चयन करें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला के विकल्प का चयन करें। अन्य का विकल्प भी उपलब्ध है।

4. **Father Name (पिता का नाम)**- अभ्यर्थी अपने पिता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम से पहले SHRI न लगायें।

5. **Mother Name (माता का नाम)**- अभ्यर्थी अपनी माता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम से पहले SMT न लगायें।

6. **Reservation Category (आरक्षण वर्ग)** - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इस कॉलम में स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (Category) का चयन करें। सामान्य वर्ग (General) हेतु कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। अन्य समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित वैध प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7. **Sub Category (आरक्षण उपवर्ग)**- अभ्यर्थी अपनी उप श्रेणी के आधार पर इस कॉलम में सबंधित उप वर्ग का चुनाव करें। यदि अभ्यर्थी किसी भी उप वर्ग में नहीं आता है, तो उसे OPEN का चयन करना है।

8. **Nationality (राष्ट्रीयता)**- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने राष्ट्रीयता का चयन करें भारतीय होने पर भारत का चयन करें तथा अन्य होने पर अन्य का चयन करें।

9. **Aadhar Number (आधार नम्बर)**- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने 12 अंकों के आधार नम्बर की प्रविष्टि करें।

10. **Mobile Number (मोबाईल नं०)**- पंजीकरण प्रक्रिया के समय दर्ज किया गया मोबाइल नम्बर स्वतः ही इस कॉलम में अंकित हो जायेगा।

11. **Alertnat Mobile No (वैकल्पिक मोबाईल नं०)**- इस कॉलम में अभ्यर्थी वैकल्पिक मोबाईल नम्बर अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा अपने परिवार जनो का नम्बर भी दर्ज किया जा सकता है।

12. **E-mail ID (ई-मेल आईडी)**- पंजीकरण प्रक्रिया के समय दर्ज की गयी ई-मेल आईडी स्वतः ही इस कॉलम में अंकित हो जायेगी।

13. **Address (पता)**- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार एवं स्थाई पता भरें।

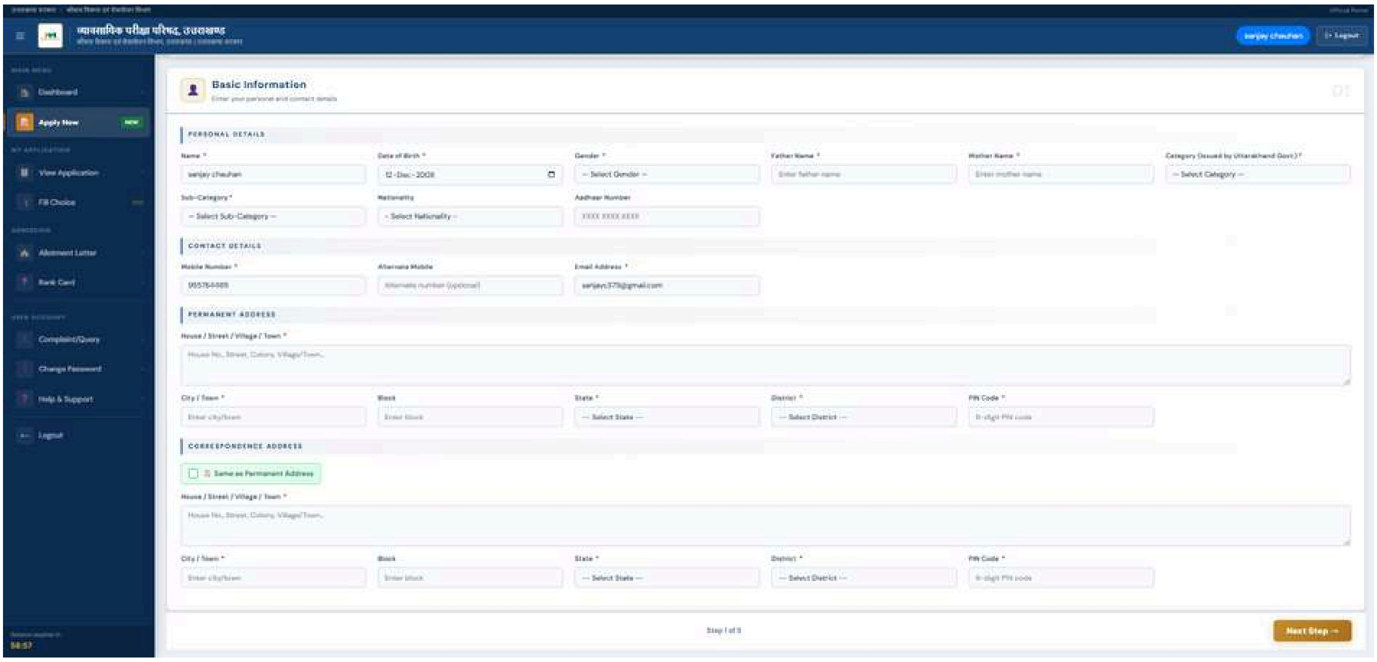

14. **Educational Qualification (शैक्षिक योग्यता का विवरण)-** इस कॉलम में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही व्यवसाय अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपलब्ध होगें। डीजीटी भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन भरने के योग्य होगा। अभ्यर्थी को क्रमशः 8वीं, 10वीं, 10वीं (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) का विवरण ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अंक तालिका सम्बंधित बोर्ड द्वारा सी.जी. पी.ए. के अनुसार निर्गत की जाती है, वे सी.जी.पी.ए. अंक को समतुल्य प्रतिशतांक में आंगणित किये जाने सम्बन्धी अंक तालिका पर दिये गये निर्देशों के क्रम में ही आंगणित करते हुए ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि करें। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 10वीं (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) एवं आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य होने पर अभ्यर्थी को Dual System of Training (DST) व्यवसायों के चयन का विकल्प दिया जायेगा जिसके अनुरूप विकल्प का चयन करने पर अभ्यर्थी को संस्थान / व्यवसाय की वरीयता चयन सम्बन्धी विकल्प प्रदान किये जायेंगें।

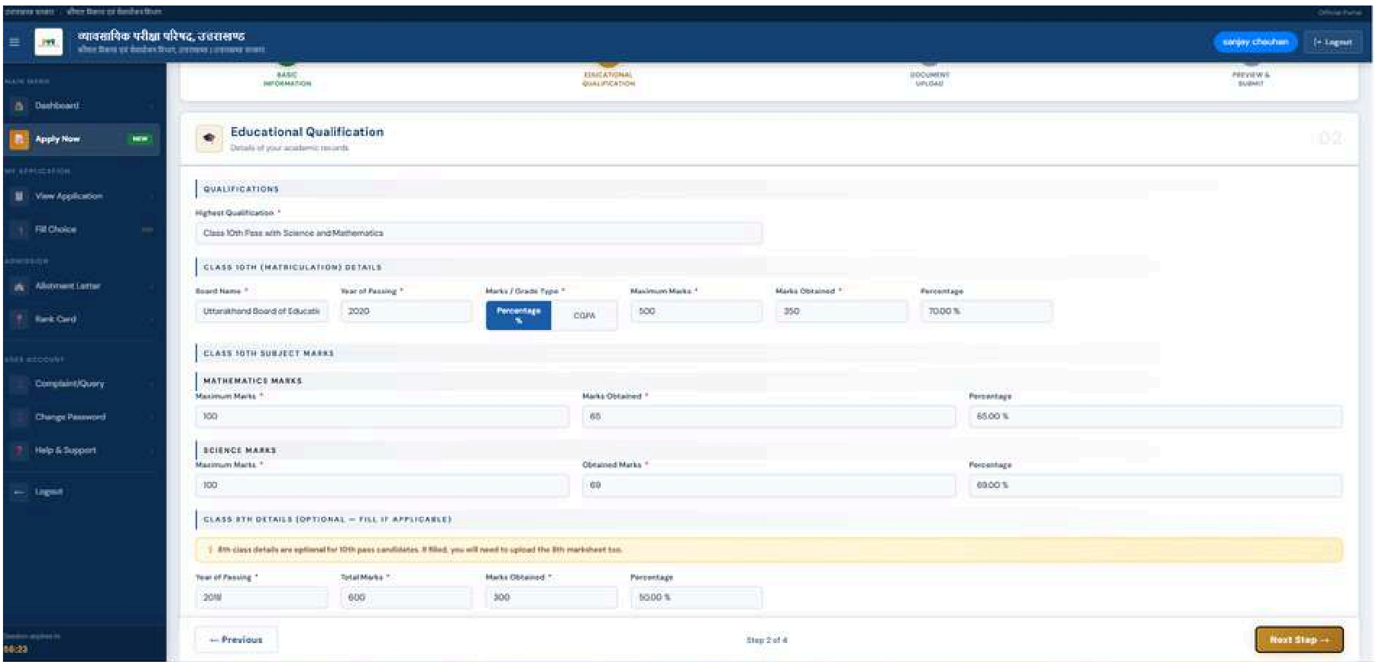

15. **Documents Upload (प्रमाण पत्र अपलोड)**- इस कॉलम में अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित एवं आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के सापेक्ष नवीनतम पासपोर्ट फोटोग्राफ, मूल / स्थाई निवास प्रमाण पत्र/8वीं की अंकतालिका/10वीं की अंकतालिका / अभिभावक के सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र/आरक्षण वर्ग/आरक्षण उपवर्ग से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करने होगें। अपलोड की जाने वाली फाईल का अधिकतम 500 के०बी० (.jpg, .jpeg, Pdf file format में) की फाईल ही अपलोड की जा सकती है।

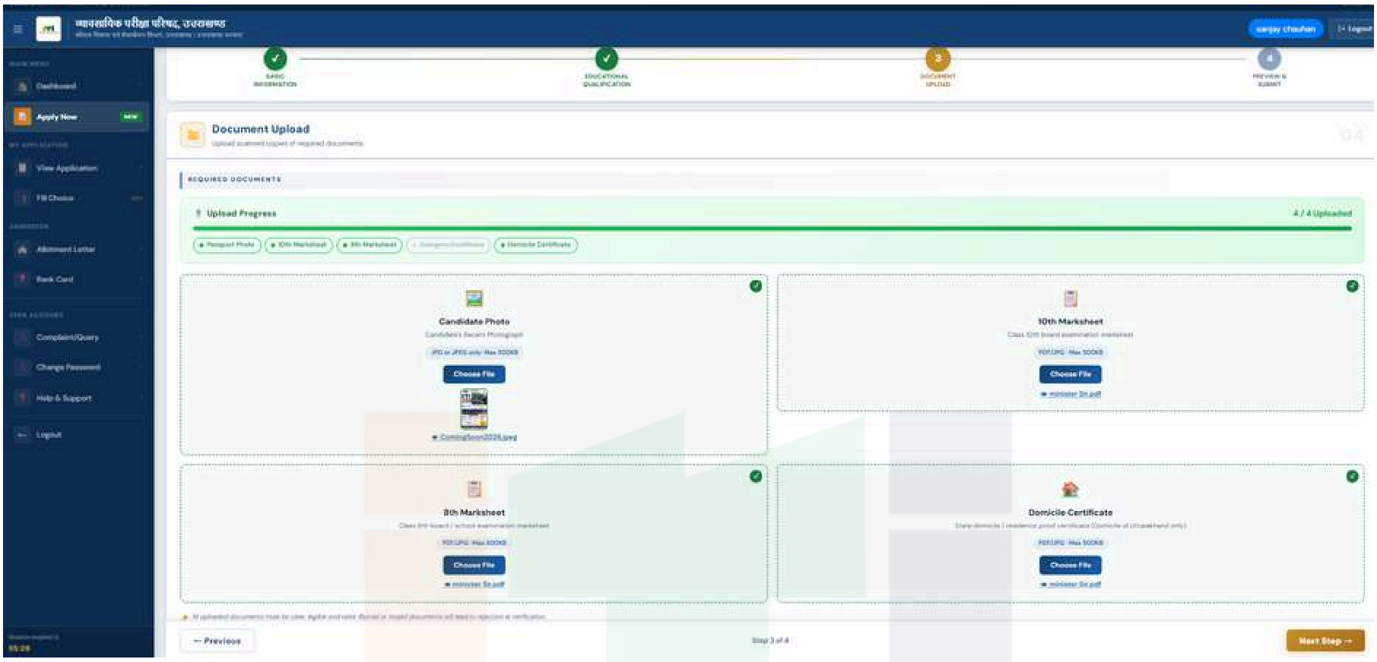

उपरोक्तानुसार आनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे भली-भाँति जाँच कर लें। आवेदनपत्र भरते समय अंत मे अभ्यर्थी को एक घोषणा प्रदर्शित होगी जिसे सन्तुष्ट होने पर अभ्यर्थी उसे टिक (✔) करना होगा। तदोपरान्त अभ्यर्थी को Application Preview पर क्लिक करके अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को भली-भाँति एवं सावधानी पूर्वक जाँच करे लें। उक्त के उपरान्त Preview में अभ्यर्थी सन्तुष्ट होने Declaration पर टिक (✔) करना होगा। Pay & submit पर क्लिक कर Credit/Debit Card, UPI, NetBanking के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा।

PERSONAL DETAILS

Full Name	sanjay chauhan	Date of Birth	2008-12-12
Father's Name	abc	Mother's Name	xyz
Gender	Male	Aadhaar No.	1234 5678 9101
Category	General	Sub-Category	OPEN
Mobile	9557644811	Email	sanjayc379@gmail.com

ADDRESS DETAILS

Permanent Address	UPPER NATAHNPUR NEHRU GRAM, dehradun, dddddddddd, Uttarakhand – 248001
Correspondence Address	UPPER NATAHNPUR NEHRU GRAM, dehradun, 248001 *(Same as Permanent)*

EDUCATIONAL QUALIFICATION

Highest Qualification	Class 10th Pass with Science and Mathematics

TRADE PREFERENCES

Pref.	Trade Name	ITI Name	District
[illegible]			

UPLOADED DOCUMENTS

Passport Photo	☑ ComingSoon2026.jpeg
10th Marksheet	☑ minister Sir.pdf
8th Marksheet	☑ minister Sir.pdf
Domicile Certificate	☑ minister Sir.pdf

Passport Photo

☑ DECLARATION

☐ I have reviewed all the above details. I hereby declare that all the information provided by me is true, correct, and complete. I understand that any false information may lead to cancellation of my candidature.

← Edit Details   Pay & Submit ✓

16. **Payment (शुल्क)** - इसके उपरान्त Pay & submit पर क्लिक कर Credit/Debit Card, UPI, NetBanking के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान हो जाने के उपरान्त Acknowledgement Reciept एवं अभ्यर्थी द्वारा भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। एक बार आवेदन अन्तिम रूप से Submit कर देने पर किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

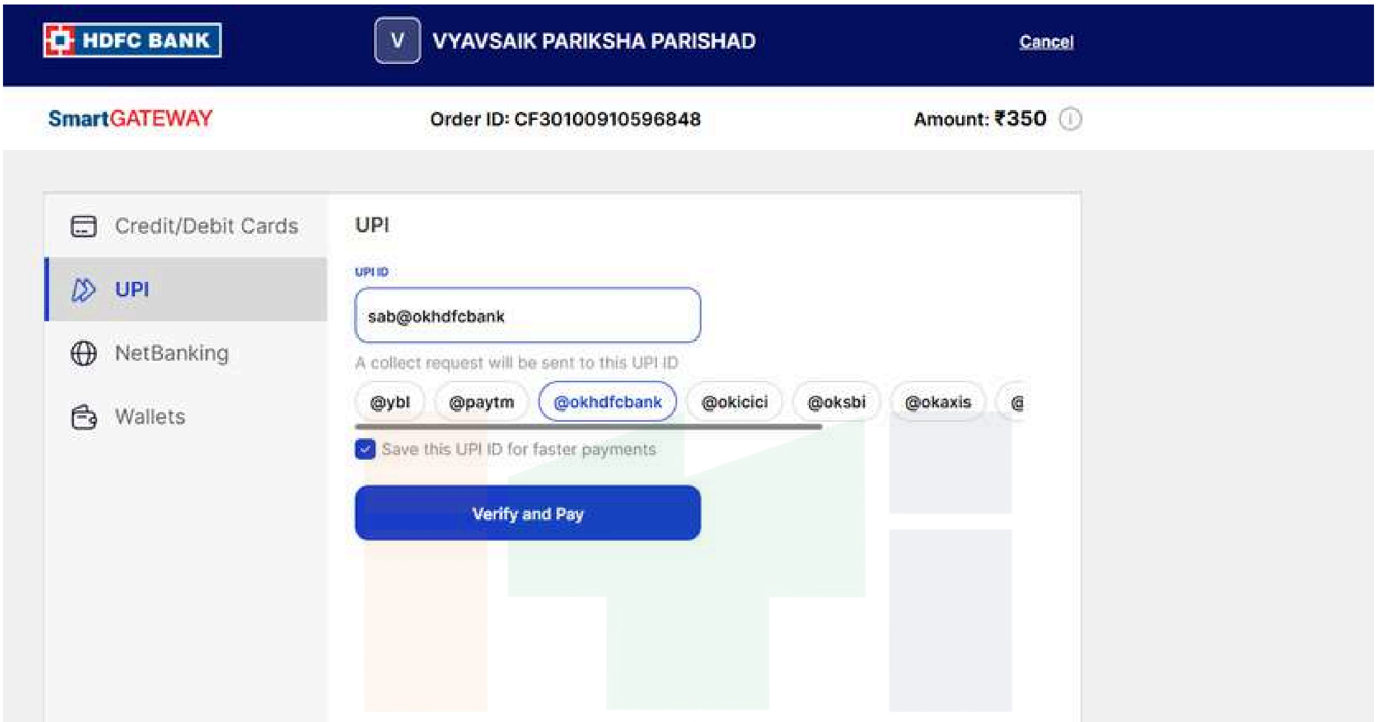

Industrial Training Institute

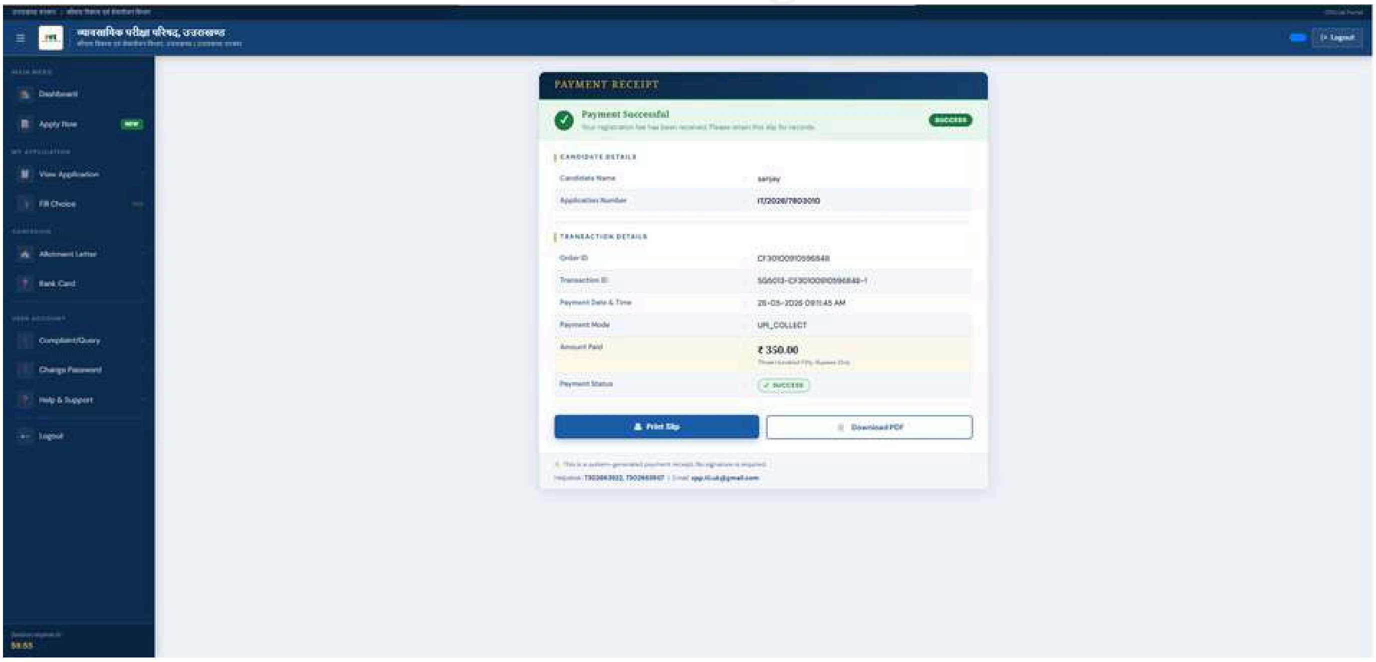

ऑनलाईन आवेदन का द्वितीय चरण (संस्थान / व्यवसायों के विकल्पों का चयन) -

ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रथम चरण के रूप में ऑनलाईन आवेदन किया गया है, को ऑनलाईन आवेदन के द्वितीय चरण में संस्थान / व्यवसायों के वाछित विकल्पों का चयन वरीयता के अनुसार करना अनिवार्य होगा। डीजीईटी भारत सरकार द्वारा वर्तमान सत्र हेतु प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स का निर्धारण किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल को पुनः खोला जायेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को SMS/Email के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी लगातार परिषद् की वेबसाईट एवं अभ्यर्थी की पंजीकृत ई-मेल का अवलोकन करते रहें।

विकल्पो का चयन करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड डाल कर अपने अकाउटं को लॉगईन किया जायेगा तथा त्दोपरान्त डैशबोर्ड पर Fill Choice पर क्लिक कर अभ्यर्थी को अपने जिलेवार, संस्थानवार, व्यवसायवार वरीयता क्रम में विकल्प लॉक / अंकित करने होगें। अभ्यर्थी की मैरिट / रैंक के अनुसार उसके द्वारा चुने गये विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 विकल्प एवं अधिकतम 10 विकल्प वरीयता क्रम में लॉक किये जा सकेंगें।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में Fill Choice पर जा कर अनिवार्य रूप से संस्थान/व्यवसाय विकल्प का चयन करना होगा। चयन न किये जाने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन अन्तिम रूप Submit नहीं माना जायेगा एवं उक्त अभ्यर्थी को संस्थान / व्यवसाय आवंटन हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को संस्थान/व्यवसाय का आवंटन न हो पाने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

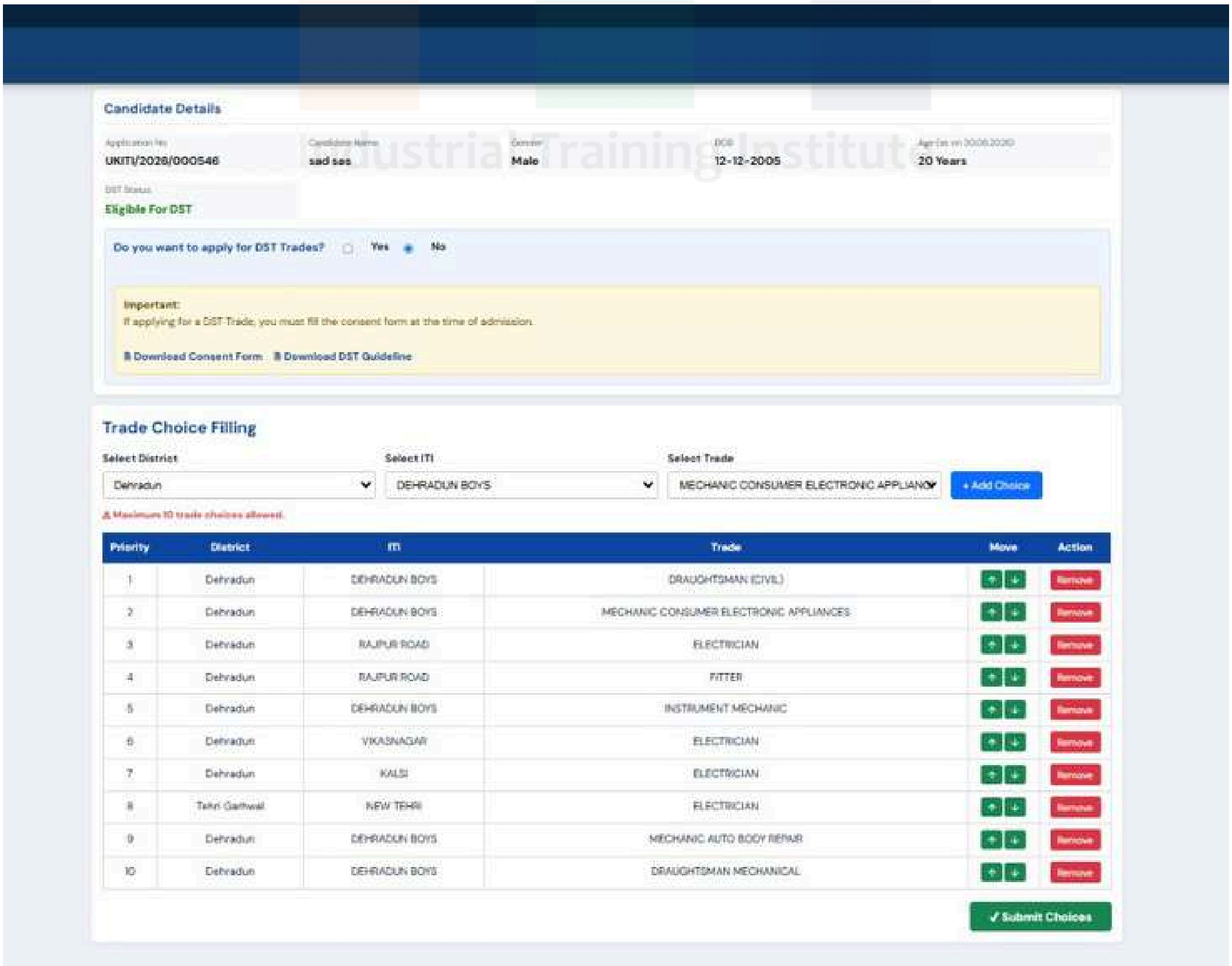

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

ऑनलाईन काउन्सिलिंग/आवंटन हेतु विविध चरण:-

प्रथम चरण-

1. डीजीईटी भारत सरकार द्वारा अन्तिम सीट मैट्रिक्स जारी किये जाने के उपरान्त परिषद् द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को SMS/Email के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
2. सीट मैट्रिक्स अपलोड होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल को पुनः खोला जायेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को SMS/Email के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड डाल कर अपने अकाउटं को लॉगईन किया जायेगा तथा त्दोपरान्त डैशबोर्ड पर Fill Choice पर क्लिक कर अभ्यर्थी को अपने जिलेवार, संस्थानवार, व्यवसायवार वरीयता क्रम में विकल्प लॉक /अंकित करने होगें। अभ्यर्थी की मैरिट / रैंक के अनुसार उसके द्वारा चुने गये विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 01 विकल्प एवं अधिकतम 10 विकल्प वरीयता क्रम में लॉक किये जा सकेंगें।
4. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 10वीं एवं 8वीं पाठ्यक्रम के लिए प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट अलग-अलग तैयार की जायेगी तथा आवंटन की कार्यवाही अलग अलग की जायेगी।
5. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसके मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित संस्थानों में से किसी भी सस्थान में एन०सी०वी०टी० से सम्बद्ध सीट आवंटित की जा सकती है, हाँ की स्थिति में अभ्यर्थी को उक्त सीट आवंटित कर दी जायेगी। यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित् अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी, जब तक उसके द्वारा चिन्हित् समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में एन०सी०वी०टी० सम्बद्धता प्राप्त कोई सीट उपलब्ध न रहे। उक्त प्रक्रिया में अन्तिम 10वें विकल्प तक भी सीट आवंटित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी की इस चरण में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
6. तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।
7. अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किये गये व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम परिषद् स्तर से परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 03 दिवसों में तैयार कराकर परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नम्बर पर मैसेज के द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। साथही अभ्यथियों के सुविधा हेतु मैरिट सूची परिषद् की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त आशय की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाएगी।
8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द माना जायगा संस्थानों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना एडमिशन पोर्टल पर प्रतिदिन रिर्पोटिंग की जायेगी।

द्वितीय चरण-

1. प्रथम चरण के ऑनलाईन कांउसिंलिंग के उपरान्त अवशेष सीटों के सापेक्ष द्वितीय चरण की ऑनलाईन कांउसिलिंग सम्पादित की जायेगी।
2. द्वितीय चरण की ऑनलाईन कांउसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित न हुई हो।

3. ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्हें प्रथम चरण में प्रथम वरीयता से इतर सीट आवंटित हुई हो, भले ही उनके द्वारा प्रवेश लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो। पूर्व से प्रवेश होने की स्थिति में अभ्यर्थी को इस शर्त के अधीन इस चरण में सम्मिलित किया जायेगा कि वे पूर्व में आवंटित सीट को विधिवत रिक्त करें। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त की गयी व्यवसायवार सीटों को भी अन्य अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु अग्रेत्तर चरणों में सम्मिलित किया जायेगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, जिनके द्वारा प्रथम चरण में कतिपय त्रुटियां इंगित की गयी थी, जिस कारण उनको आवंटन / प्रवेश नहीं हो पाया। ऐसे अभ्यर्थी इस चरण में अपने आवेदन में पाई गयी त्रुटिंयों को रही करके प्रतिभाग कर पायेगें।
5. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रथम वरीयता विकल्प आवंटित अभ्यर्थी को द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा, चाहे उसके द्वारा उक्त आवंटित सीट पर प्रवेश लिया गया हो अथवा न लिया हो।
6. उपलब्ध सीटों के अधिकाधिक आवंटन एवं आई०टी०आई० में प्रवेश बढाने के दृष्टिगत द्वितीय चरण ऑनलाईन कांउसिंलिंग में नवीन ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन न किया गया हो, भी ऑनलाईन आवेदन कर पायेगें।
7. नवीन ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त द्वितीय चरण हेतु राज्य स्तरीय मैरिट सूची का पुर्ननिर्माण किया जायेगा एवं समस्त अभ्यर्थियों को नवीन रैंक प्रदान की जायेगी तथा तत्क्रम में ही सीटों का आवंटन किया जायेगा। पूर्व के आवेदित अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की रैंक इस चरण हेतु मान्य नहीं होगी।
8. पूर्व से आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा अवशेष उपलब्ध सीटों के अनुसार वरीयता विकल्प संशोधित किये जा सकेगें। विकल्प संशोधित न किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रथम चरण में इच्छित विकल्प के आधार पर ही आवंटन प्रक्रिया की जायेगी।
9. इस चरण में मैरिट सूची का निर्माण, रैंक जारी करना एवं सीट का आवंटन प्रथम चरण में अपनाई गयी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।
10. अवशेष उपलब्ध सीटों का विवरण परिषद् की वेबसाइट एवं अभ्यर्थी के डैसबोर्ड पर प्रर्दशित किया जायेगा।

दो चरणों की ऑनलाईन काउंसिलिंग के उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की स्थिति में काउंसिलिंग के अग्रेत्तर चरणों हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय एवं उनकी प्रवेश क्षमता

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न रा०औ०प्र०संस्थानों में 36 इन्जीनियरिंग एवं नॉन इन्जीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें वर्तमान प्रवेश सत्र 2026-27 हेतु व्यवसायवार / संस्थानवार उपलब्ध सीटों का विवरण डीजीटी भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से जारी किये जाने के उपरान्त व्यावसायिक परीक्षा परिषद् पोर्टल एवं अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी एवं तत्क्रम में ही अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान / व्यवसाय का चयन किया जा सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि समय-समय पर परिषद् की वेबसाईट एवं स्वयं के डैशबोर्ड का अवलोकन करते रहें। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु अभ्यर्थी अपने निकटतम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी सम्पर्क कर सकते है।

प्रसारित सीटों की संख्या में कमी/ वृद्धि अथवा कम प्रवेश की स्थिति में व्यवसाय संचालन न किये जाने तथा ऐसे प्रवेश को निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों व न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का विवरण

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय	दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता
1	फिटर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
2	टर्नर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
3	मशीनिष्ट	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गेयर, फिटिंग, चाबी काटने सम्बन्धी कार्य।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
4	इलैक्ट्रीशियन	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाईंडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
5	इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	समस्त विद्युतीय, चुम्बकीय, वायु तापमापी, वायु दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरम्मत करना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
6	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	रेफ्रीजरेटर एयर कण्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH
7	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	भवन, पुल आदि का आकार नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
9	इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टीवी वी.सी.आर. सामान्य इलैक्ट्रानिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
10	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाईन खींचना, उत्पन्न खराबी ठीक करना।	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH

11	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	(10+2) शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलाना।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
12	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	सम्पूर्ण पेंटिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, व्हीकल, पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, MI
13	इन्फारमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी सिस्टम मेन्टीनेन्स	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि।	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
14	वैल्डर	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
15	कारपेन्टर (वुड वर्क टेक्निशियन)	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	लकड़ी का फर्नीचर घरेलू सामान आदि का निर्माण करना एवं पालिश करना।	LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
16	सर्वेयर	दो वर्ष	हाईस्कूल उत्तीर्ण	भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD, MD
17	मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	डीजल ईंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
18	प्लम्बर	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	पानी की लाईन, टोंटी, टंकी, वाल्व आदि की मरम्मत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
19	मैकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
20	मेकैनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	वाहनों की बॉडी की डेन्टिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
21	मेकैनिक ऑटो बॉडी पेन्टिंग	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF

22	स्वीईंग टेक्नोलोजी	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
23	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज को चलाने का ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
24	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टैन्ट हिन्दी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।	LD(LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM
25	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टैन्ट अंग्रेजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।	LD(LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM
26	कॉस्मेटोलॉजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	ब्यूटीशियन, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।	LD, CP, LC, DW, AA, HH, DEAF, OH (LL)
27	फैशन डिजाइन टैक्नोलॉजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
28	ड्रेस मेकिंग	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	आधुनिक प्रकार के परिधानों तैयार करना।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD
29	वैल्डर (फैब्रिकेशन एण्ड फिटिंग)	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।	LD, LC, DW, AA, DEAF, HH
30	टूल एण्ड डाई मेकर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	परिशुद्ध उपकरण, डाई, जिग्स, और फिक्सचर डिज़ाइन, निर्माण, और रखरखाव सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF

31	मैकेनिक टू एण्ड थ्री व्हीलर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	टू एण्ड थ्री व्हीलर को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF
32	कैटरिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी असिस्टेंट	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग टेक्नोलॉजी सम्बन्धी ज्ञान।	LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, AUTISM
33	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलैक्ट्रोनिक्स ऐप्लायेन्सेस	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण सिस्टम, और मरम्मत तकनीकों से सम्बन्धित ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
34	मैकेनिक मशीन टूल्स	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	मशीनों, यंत्रों के विभिन्न भागों के निर्माण और मरम्मत सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, AUTISM, SLD
35	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग तकनीकों, मशीन संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण, और सुरक्षा में कौशल सम्बन्धी ज्ञान।	LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, MI
36	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/ समकक्ष	सोलर एनर्जी से सम्बन्धित यंत्रों और सोलर एनर्जी संयंत्रों के रखरखाव सम्बन्धी ज्ञान।	LD, LC, DW, AA, DEAF, LV, HH

* LD- Locomotor Disability / Learning Disability (depends on context), LC- Leprosy Cured, DW- Dwarfism, AA- Aid Attack Victim, LV- Low Vision, DEAF- Deaf / Hearing Impaired, AUTISM- Autism Spectrum Disorder (ASD), SLD-Specific Learning Disability, CP- Cerebral Palsy, A A Acid Attack Victim, HH- Hard of Hearing, AUTIS M- Autism Spectrum Disorder (ASD), ID- Intellectual Disability, LV- Low Vision, DEAF- Deaf, MD- Multiple Disabilities, MI-Mental Illness, LD(LL)- Locomotor Disability (Lower Limbs), BLIND- Blindness & OH (LL)- Orthopedically Handicapped (Lower Limbs).

उपरोक्तानुसार व्यवसायवार दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी०जी०टी० भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है। ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी को वे ही व्यवसाय प्रदर्शित होंगे जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता उसके पास होगी इसलिए काउंसलिंग में शैक्षिक योग्यता का कॉलम भली प्रकार देखकर भरें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कॉलम की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो तद्नुसार भरें। काउंसलिंग हेतु प्रवीणता सूची के निर्माण के लिये आवेदन पत्र में दर्शाये गये सभी कॉलम में नाम आदि की सही सूचना के साथ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक / प्राप्तांक का विवरण त्रुटि रहित रूप से भरें तथा पुष्टि के रूप में सम्बन्धित परीक्षा के अंकपत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें। प्रवेश के समय प्रवेशित संस्थान द्वारा उक्त अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा, भिन्नता की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी एवं सम्बन्धित सीट अगली काउसिंलिंग हेतु गणना में सम्मिलित कर ली जायेगी।

शासनादेश के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजकीय आई०टी०आई० में चयन हेतु पात्र नहीं हैं। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर के समकक्ष होने का प्रमाणपत्र संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के सक्षम अधिकारी से स्वयं प्राप्त कर चयनित राजकीय आई०टी०आई० में देना आवश्यक होगा, इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

वार्षिक शुल्क-

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 924/XLI-B-1/19-48(प्रशि)/2012 दिनांक 23 दिसंबर 2019 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों के हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क सम्बन्धित संस्थान में जमा कराया जायेगा।

Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत आई०टी०आई० के साथ-साथ इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण-

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (Dual System of Training-DST) एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योगों में कार्य करेने सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम मशीनरी पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। डीएसटी के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी उच्च स्तर के व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल का विकास करते हैं, जिससे उन्हें उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने की सम्भावना अधिक हो जाती है। विभाग द्वारा विगत वर्ष से राज्य के 54 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु DST के अन्तर्गत राज्य के प्रतिष्ठित औद्योगिक आस्थानों यथा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आदि के साथ एमओयू करते हुए योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त योजना में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा द्विवर्षीय व्यवसाय हेतु 6 से 12 माह तथा एक वर्षीय व्यवसाय हेतु 03 से 06 माह का प्रशिक्षण इन्डस्ट्री में कार्य करते हुए एवं शेष अवधि का प्रशिक्षण आई०टी०आई० में प्राप्त किया जा रहा है। DST के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। DST के अन्तर्गत एमओयू करने वाले अधिष्ठानों द्वारा इंडस्ट्री में प्रशिक्षण के द्वौरान प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है, जो कि समय-समय पर इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित किया जायेगा। वर्तमान में इंडस्ट्री द्वारा स्टाइपेंड के रूप में लगभग रू० 8000.00 से 12000.00 प्रतिमाह के मध्य दिया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण प्रणाली का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण, अनुशासन तथा कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है ताकि वे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से व्यावहारिक दक्षता अर्जित कर सकें, जो कि उनको रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार एवं सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नानुसार मानक निर्धारित किए गए हैं:-

- **आयु सीमाः-** Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। इस हेतु आयु की गणना सम्बन्धित वर्ष की 1 अगस्त 2026 से मान्य होगी।
- **शैक्षिक योग्यताः-** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण।

- **शिक्षण अवधि में औद्योगिक भागीदारी:-** कुल प्रशिक्षण अवधि का 25% से 50% भाग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इस अवधि में प्रशिक्षार्थी को सम्बन्धित उधोग में उपस्थित होकर उधोगों की आवश्यकता के अनुरूप Hands-On प्रशिक्षण एवं कार्य कराया जायेगा।

- **सहमति पत्र (Consent Form):-** DST प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को यह लिखित सहमति प्रदान करनी होगी कि उन्हें कुल प्रशिक्षण अवधि का 25 से 50% तक का भाग संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये प्रशिक्षण करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सहमति पत्र (Consent Form) प्रवेश के समय हस्ताक्षरित जमा करना अनिवार्य होगा।

- **पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र:-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण शुरू होने से 30 दिन पहले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

- **चिकित्सा फिटनेस परीक्षण:-** अभ्यर्थी को डीएसटी के अन्तर्गत प्रवेश लेते समय सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा निर्धारित इंडस्ट्री की अपेक्षा / आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

- **सुरक्षा/पीपीई :-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी सुरक्षा पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) अनिवार्य रूप से पहनने होंगे, जो कि इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे। समस्त प्रशिक्षार्थियों का सम्बन्धित आई०टी०आई० द्वारा बीमा कराया जायेगा तथा इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणर्थियों को इण्डस्ट्री द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा एवं किसी प्रकार की दुर्घटना हेतु सम्बन्धित संस्थान / इण्डस्ट्री उत्तरदायी नहीं होगी।

- **शिफ्ट :-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को सम्बन्धित इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शॉप्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर / रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए शिफ्ट समय का पालन करना होगा। आठ घंटे की शिफ्ट में खडे अथवा बैठकर (यथा स्थिति) कार्य करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उक्त के दैरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हल्के मटीरियल / सामग्री का स्थानान्तरण भी कराया जा सकता है।

- **अनुशासन :-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को अन्य कार्यरत लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और अनुशासित व्यवहार बनाए रखना होगा। शारीरिक हिंसा का कोई भी कार्य, भौतिक संपत्ति को नुकसान, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यस्थल से गायब होना, यौन उत्पीड़न आदि गैर अनुशासनात्मक गतिविधियां किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा।

- **आर्थिक सहायता :-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को समय-समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

- **भोजन और आवास :-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान (शिफ्ट के दौरान) भोजन की व्यवस्था Subsidized दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण के इतर प्रशिक्षुओं को भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस हेतु सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा सहयोग प्रदान कराया जा सकता है।

Dual System of Training-DST

के अन्तर्गत स्वीकृत एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त संस्थानों / व्यवसायों का विवरणः-

क्र.सं.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	डीएसटी हेतु इंडस्ट्री पार्टनर का नाम
1	रा0औ0प्र0संस्थान (यु0) देहरादून	इलेक्ट्रिशियन	हिमालयन पावर मशीन मेनुफेक्चरिंग, देहरादून
		फिटर	हिमालयन पावर मशीन मेनुफेक्चरिंग, देहरादून
2	रा0औ0प्र0संस्थान राजपुर रोड देहरादून	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
3	रा0औ0प्र0संस्थान विकासनगर	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
4	रा0औ0प्र0संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		मशीनिष्ट	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
5	रा0औ0प्र0संस्थान नारसन	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
6	रा0औ0प्र0संस्थान विशिष्ट हरिद्वार	फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
7	रा0औ0प्र0संस्थान पिरानकलियर	फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
8	रा0औ0प्र0संस्थान रूद्रप्रयाग	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
9	रा0औ0प्र0संस्थान श्रीनगर	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
10	रा0औ0प्र0संस्थान दुगड्डा	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
11	रा0औ0प्र0संस्थान नई टिहरी	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर

12	रा0औ0प्र0संस्थान चम्बा	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
13	रा0औ0प्र0संस्थान बड़कोट	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
14	रा0औ0प्र0संस्थान पिथौरागढ़	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		*इलेक्ट्रिनिक्स मैकेनिक	*उनो मिंडा लिमिटेड
15	रा0औ0प्र0संस्थान काशीपुर	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		*इलेक्ट्रिशियन	*बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
		*इलेक्ट्रिनिक्स मैकेनिक	*उनो मिंडा लिमिटेड
16	रा0औ0प्र0संस्थान दिनेशपुर	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		*इलेक्ट्रिशियन	*बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
17	रा0औ0प्र0संस्थान बाजपुर	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		* मेकेनिक ऑटोबॉडी पेंटिग	*टाटा ऑटोकॉप सिस्टम्स लिमिटेड रूद्रपुर
18	रा0औ0प्र0संस्थान जसपुर	इलेक्ट्रिशियन	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
19	रा0औ0प्र0संस्थान खटीमा	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
20	रा0औ0प्र0संस्थान सितारगंज	मेकेनिक मोटर व्हीकल	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
		*इलेक्ट्रिशियन	* बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
21	रा0औ0प्र0संस्थान विशिष्ट पंतनगर	वेल्डर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग)	टाटा मोटर्स, पंतनगर
22	रा0औ0प्र0संस्थान अल्मोड़ा	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		*फिटर	*टाटा मोटर्स, पंतनगर
23	रा0औ0प्र0संस्थान हल्द्वानी	टर्नर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		मशीनिष्ट	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		मेकेनिक ऑटोबॉडी पेंटिंग	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
		*फिटर	*ऑटोमोटिव स्टैम्पिंग और असेंबली लिमिटेड (ASAL)
24	रा0औ0प्र0संस्थान टाण्डी	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
25	रा0औ0प्र0संस्थान कालाढूंगी	मेकेनिक मोटर व्हीकल	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
26	रा0औ0प्र0संस्थान बिन्दुखत्ता	फिटर	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर

27	रा0औ0प्र0संस्थान रामनगर	फिटर	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
28	रा0औ0प्र0संस्थान कर्णप्रयाग	इलेक्ट्रिशियन	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
29	रा0औ0प्र0संस्थान गोपेश्वर	इलेक्ट्रिशियन	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
30	रा0औ0प्र0संस्थान कालसी	फिटर	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
31	रा0औ0प्र0संस्थान सल्डमहादेव	फिटर	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
32	रा0औ0प्र0संस्थान अस्कोट	मशीनिष्ट	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
33	*रा0औ0प्र0संस्थान भंवाली	*इलेक्ट्रिनिक्स मैकेनिक	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
34	*रा0औ0प्र0संस्थान टनकपुर	*इलेक्ट्रिनिक्स मैकेनिक	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
		*वेल्डर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग)	*ऑटोमोटिव स्टैम्पिंग और असेंबली लिमिटेड (ASAL)
35	*रा0औ0प्र0संस्थान बेतालघाट	*इलेक्ट्रिनिक्स मैकेनिक	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
36	*रा0औ0प्र0संस्थान काण्डा	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
37	*रा0औ0प्र0संस्थान जाखपुरान	*फिटर	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
38	*रा0औ0प्र0संस्थान ढोकाने	*फिटर	*टाटा ऑटोकॉप सिस्टम्स लिमिटेड रूद्रपुर
39	*रा0औ0प्र0संस्थान ब्राइट एंड कॉर्नर	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
40	*रा0औ0प्र0संस्थान खूंट	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
41	*रा0औ0प्र0संस्थान दन्या	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
42	*रा0औ0प्र0संस्थान धारचुला	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
43	*रा0औ0प्र0संस्थान गदरपुर	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
44	*रा0औ0प्र0संस्थान ज्यैंती	*फिटर	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
45	*रा0औ0प्र0संस्थान पांखू	*फिटर	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर

46	*रा0औ0प्र0संस्थान बनकोट	* फिटर	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
47	*रा0औ0प्र0संस्थान कपकोट	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
48	*रा0औ0प्र0संस्थान मुनस्यारी	*इलेक्ट्रिशियन	*वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंतनगर
49	*रा0औ0प्र0संस्थान डेलना	*फिटर	*सत्यम ऑटो कंपोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार
		*वेल्डर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग)	
50	*रा0औ0प्र0संस्थान (महिला) देहरादून	*स्वीईंग टैक्नोलॉजी	*साई निटर्स लिमिटेड, सेलाकुई (देहरादून)
51	*रा0औ0प्र0संस्थान कोटद्वार	*फिटर	*शिवम ऑटोटेक लिमिटेड हरिद्वार
52	*रा0औ0प्र0संस्थान उत्तरकाशी	*फिटर	*नील मेटल लिमिटेड जेबीएम ग्रुप हरिद्वार
53	*रा0औ0प्र0संस्थान पोखड़ा	*फिटर	*सी एंड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड हरिद्वार

नोटः- * अंकित संस्थानों / व्यवसायों को डीजीटी भारत सरकार से एनसीवीईटी से सम्बन्धन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

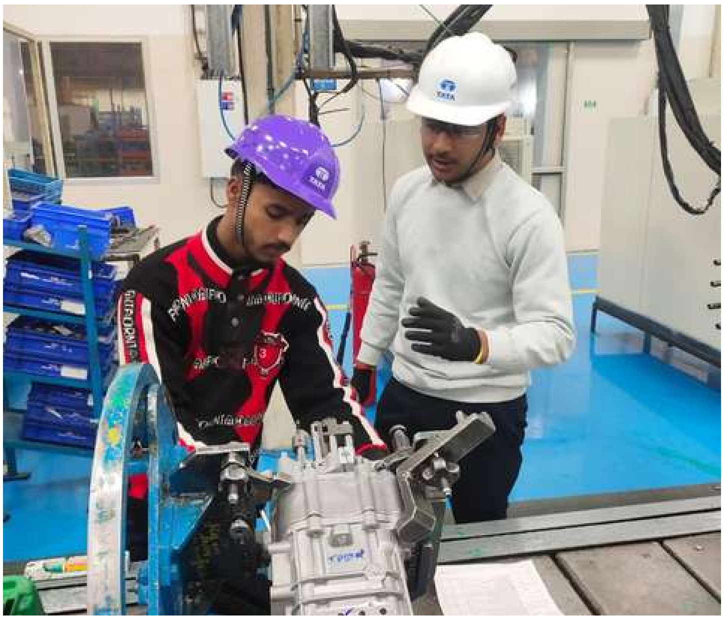

रोज़गार की संभावना को बढ़ाने हेतु आईटीआई एवं इंडस्ट्री में संयुक्त रूप से DST के अंतर्गत प्रशिक्षण का अवसर

DUAL SYSTEM OF TRAINING

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST)

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) क्या है?

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ साथ उद्योग में कार्य करके सीखने का अवसर प्रदान करता है|

इसमें छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम मशीनरी पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है| डीएसटी के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी उच्च स्तर के व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल का विकास करते हैं, जिससे उन्हें उद्योगों में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है|

उद्योग में प्रशिक्षण की समयावधि

ITI कोर्स की अवधि	उद्योग में प्रशिक्षण की अवधि
12 Months	3 to 6 Months
24 Months	6 to 12 Months

DST के दौरान उद्योग क्या प्रदान करेगा?

छात्रवृत्तिका
उद्योगों द्वारा छात्रवृत्तिका दिए जाने का प्राविधान

सुविधाएं
छात्रों को परिवहन एवं कैंटीन की व्यवस्था

सुरक्षा
सभी छात्रों को पीपीई और सुरक्षा जूते जैसी सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान

प्रशिक्षण
छात्र अपने कोर्स का आधा समय आई.टी.आई में एवं शेष समय इंडस्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे

DST के दौरान छात्रों से क्या अपेक्षाएं हैं?

आयु सीमा
न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष

सहमति पत्र
स्वयं और माता-पिता से सहमति अनिवार्य होगा

व्यक्तिगत बीमा
अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

मेडिकल टेस्ट
चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा

यूनिफार्म और पहचान पत्र
आईटीआई का पहचान पत्र साथ रखना और DST के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है|

रूल्स एंड रेगुलेशन
DST के दौरान उद्योग के नियमों और विनियमों, सुरक्षा दिशानिर्देशों और शिफ्ट समय का पालन अनिवार्य है|

विभागीय क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ-

1. शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना -

भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 में अधिसूचित किया गया है कि शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत ऐसे अधिष्ठान जहाँ 30 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं ऐसे अधिष्ठानों को शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। जिस हेतु अधिष्ठानों तथा प्रशिक्षार्थियों को अपना-अपना पंजीकरण अप्रेन्टिस पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in करना अनिवार्य है। अधिष्ठानों को अपनी कुल कार्मिक क्षमता का 2.5 प्रतिशत (न्यूनतम एवं अनिवार्य) से 15 प्रतिशत (अधिकतम) के बैण्ड में शिशिक्षु नियोजन कराना होता है। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट व्यवसायों (Designated Trade) में एक वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिष्ठानों में नियोजित किया जाता है। अप्रेन्टिस ट्रेनिंग के दौरान शिशिक्षु को न्यूनतम ₹ 6800 से ₹ 12300 प्रतिमाह छात्रवृत्तिका का भुगतान सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा किया जाता है तथा NAPS-2 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम छात्रवृत्तिका की प्रतिपूर्ति की धनराशि₹ 1500 का भुगतान सीधे शिशिक्षुओं के बैंक खाते में किये जाने का प्राविधान है।

2. सी० ओ० ई० (Centre of Excellence) की स्थापना -

विभाग द्वारा रा० आई०टी०आई काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा रा० विशिष्ट आई०टी०आई०, हरिद्वार में Phillips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence (COE) स्थापित किया गया है जिसमें आई०टी०आई उत्तीर्ण युवाओं को उच्च प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे विभिन्न प्रतिष्ठित उद्यागों में उच्च मानदेय पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

तीन माह के Advance प्रशिक्षण के उपरान्त COE काशीपुर द्वारा 279 प्रशिक्षणार्थियों में से 235 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी से अधिक वेतन का रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा COE हरिद्वार द्वारा 200 प्रशिक्षणार्थियों में से 179 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी से अधिक वेतन का रोजगार उपलब्ध कराया, इन केन्द्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों को फिनिशिंग स्कूल की तर्ज पर उन्नत और भविष्य की तकनीकों पर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ, इण्डस्ट्री सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट के अवसरों की सुविधा भी मिल रही है।

उक्त COE में आशा के अनुरूप सफलता के दृष्टिगत स्किल हब सहसपुर में Schneider के सहयोग से Advance Electrical में Festo के सहयोग से Mechatronics, Hydraulics, Pneumatics एवं Robotics तथा Phillips के सहयोग से Precision Manufacturing, Industrial Maintenance से सम्बन्धित COE स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।

इसी प्रकार आई०टी०आई० बाजपुर में भी Phillips के सहयोग से Precision Manufacturing से सम्बन्धित COE स्थापित किया गया है जिसमें अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें COE बाजपुर द्वारा तीन माह के Advance प्रशिक्षण के उपरान्त 32 प्रशिक्षणार्थियों में से 32 प्रशिक्षणार्थियों एवं स्किल हब सहसपुर द्वारा सीओई में Advance प्रशिक्षण के उपरान्त 112 में से 92 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी से अधिक वेतन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

उत्तराखण्ड राज्य

Industrial Training Institute

3. टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से उद्योग 4.0 की मॉग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण-

उद्योग 4.0 की मॉग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा युवक देहरादून, हरिद्वार, पिरानकलियर, बड़कोट, चम्बा, गोपेश्वर, काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, कालाढूंगी, पिथौरागढ, चम्पावत व अल्मोड़ा का उन्नयन (Upgradation) सम्बन्धी कार्य विभिन्न शर्तों के अधीन टाटा टैक्नोलॉजी प्रा०लि० के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा योजनान्तर्गत चिन्हित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशाला एवं टेक्नोलॉजी लैब के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन संस्थानों के उच्चीकरण के उपरान्त राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु 08 दीर्घकालीन (01 से 02 वर्षीय) उनमें इण्डस्ट्री 4.0 के अनुरूप व्यवसाय यथा CNC Machining Technician, Engineering Design Technician, Virtual Analysis And Designer FEM (Finite Element Method), Industrial Robotics & Digital Manufacturing Technician, Mechanic Electric Vehicle, Manufacturing Process Control And Automation Technician, Computer Aided Manufacturing (CAM) Programmer & Industrial internet of things (IIoT) technician एवं इन दीर्घ अवधि पाठयक्रमों से सम्बन्धित 23 लघु अवधि (270 घण्टे से 390 घण्टे तक) के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा सकेगा जिससे राज्य के युवाओं को इन क्षेत्र की इण्डस्ट्री में रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

4. टी०वी०एस० मोटर्स के सहयोग से सीएसआर के अन्तर्गत सी०ओ०ई० की स्थापना -

सीएसआर के अन्तर्गत टी०वी०एस० के माध्यम से सी०एस०आर० के अन्तर्गत 03 संस्थानों यथा देहरादून, श्रीनगर एवं अल्मोडा में Two Wheeler & Three Wheeler सम्बन्धी नये सी०ओ०ई० स्थापित किये जाने हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

5. PM SETU-

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 04.10.2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation Through Upgraded Itis (PM-Setu) योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 1000 सरकारी आई०टी०आई० का उन्नयन किया जाना है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के पायलट फेज हेतु प्रारम्भिक रूप से राजकीय आई०टी०आई० हरिद्वार को हब एवं राजकीय आई०टी०आई० दिनेशपुर, कालसी, राजपुर रोड व उत्तरकाशी को स्पोक सेन्टर के रूप में प्रस्तावित किये गये हैं।

6. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना-

सहसपुर (देहरादून) में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत भाषा एवं संस्कृति प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित किया जाता है तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षणार्थियों के रहने एवं खाने का व्यय भार का वहन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। इस योजना के माध्यम से वर्तमान में जापान, जर्मनी, यूके एवं आयरलैण्ड के अलावा विभिन्न देशों में प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल प्रशिक्षण के अनुरूप सेवायोजित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

"मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना" के माध्यम से 01 जुलाई 2023 से जापान में केयर गिवर जॉब में सेवायोजित किये जाने हेतु प्रदेश के कुल 45 युवाओं को केयर गिबर, 18 युवाओं को आतिथ्य, 01 युवा फूड प्रोसेसिंग एवं 01 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जापान के विभिन्न क्षेत्रों में सेवायोजित किये जाने के साथ ही 30 युवाओं को साउदी अरब में वेयर हाउस वर्कर के रूप में सेवायोजित किया जा चुका है। आतिथि तक कुल 95 युवाओं को विभाग द्वारा विदेशों में सेवायोजित किया जा चुका है।

Industrial Training Institute

7. ऑन द जॉब ट्रेनिंग-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को इण्डस्ट्री के वातावरण एवं कार्यप्रणाली को समझने हेतु इण्डस्ट्री में ऑन द जॉब प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा रहा है, जोकि उनको रोजगार पाने में सहायक सिद्ध होता है। औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रावासों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के परिप्रेक्ष्य में सुव्यवस्थित किया गया है। संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का अच्छा स्तर सुनिश्चित किये जाने हेतु दूरस्थ संस्थानों के छात्रों को विभिन्न उद्योगों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून एवं दिनेशपुर में छात्रावास का निर्माण किया गया है एवं कतिपय अन्य संस्थानों में छात्रावास निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

8. कौशल संवाद-

माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा समय समय पर राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन / ऑफलाईन संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपने विचारों / सुझावों को संवाद में माननीय विभागीय मंत्री जी के समक्ष रखा जाता है।

9. प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क गणवेश

राज्य सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के गणवेश हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु प्रशिक्षार्थी को डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत पुरुष प्रशिक्षार्थियों के लिए आसमानी रंग की शर्ट एवं नीले रंग की पेन्ट एवं महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए आसमानी रंग कुर्ता एवं नीले रंग का सलवार गणवेश के रूप में निर्धारित की गयी है।

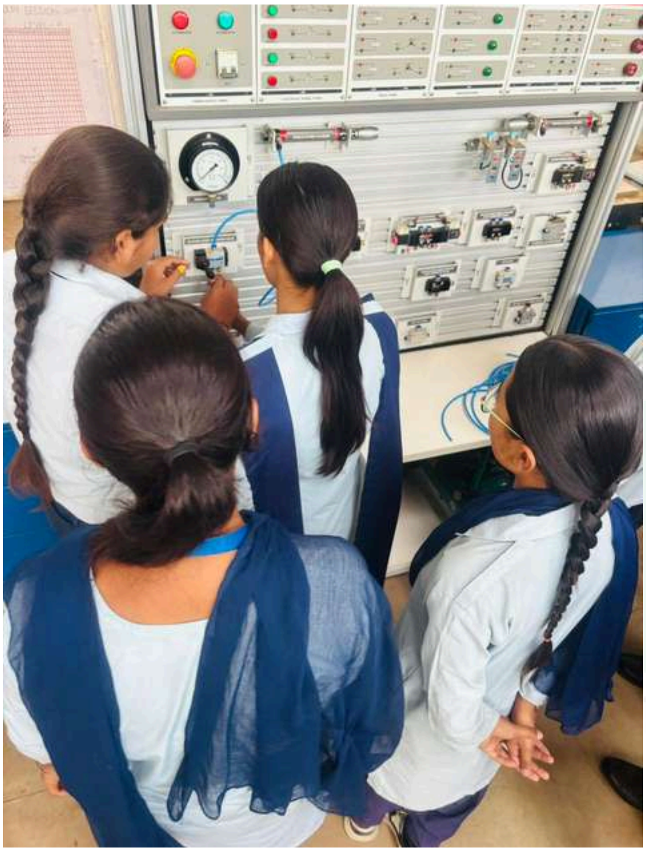

10. वैल्डिंग लैब -

रा०ओ०प्र०संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार, दिनेशपुर एवं अस्कोट में अत्याधुनिक वैल्डिंग लैब की स्थापना की गयी है। जिसमें नवीनतम वैल्डिंग तकनीक युक्त आधुनिक मशीनों को स्थापित किया गया। इन मशीनों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थी राज्य तथा राज्य के बाहर स्थापित वैल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों में ना केवल सुगमता से कार्य कर सकेगें वरन् स्वरोजगार की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं।

11.

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर रोड देहरादून में मै० हुंडई मोटर्स, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में मारूती उद्योग, सैमसंग, जैकवार, आइसर वोल्वो एवं होण्डा मोटर्स, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला देहरादून में सैमसंग, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर में आर्नोवा टेक्नोलॉजी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की कार्यशाला तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में मारूती उद्योग, मै० टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स लिमिटेड के सहयोग से कार्यशाला के उन्नयन / विस्तारीकरण का कार्य करते हुये सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान द्वारा स्थापित की गयी मशीनों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

Industrial Training Institute

12.

सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा निदेशक, प्रशिक्षण विभाग-उत्तराखण्ड के मध्य 02 राजकीय आई०टी०आई० के प्रशिक्षार्थियों के कौशल विकास तथा उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए 03 साल का अनुबंध किया गया है। जिसमें सीएसआर के अन्तर्गत महिला आई०टी०आई देहरादून तथा युवक आई०टी०आई० देहरादून में नवीनतम टेक्नोलॉजी के सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों से सुसज्जित एक-एक विश्व स्तरीय लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये गये हैं, जिसमें आई०टी०आई के प्रशिक्षार्थी अपनी ट्रेड के अतिरिक्त उद्योग जगत में वर्तमान में प्रचलित टेक्नोलॉजी में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। महिला आई०टी०आई देहरादून में इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई०सी०टी०एस०एम ट्रेड के प्रशिक्षार्थियों को नवीनतम टेबलेट्स मोबाईल स्मार्ट घड़ियों, टी०वी०, होम ऑडियो सिस्टम और युवक आई०टी०आई देहरादून में आर०ए०सी० तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रशिक्षार्थियों को रेफ्रीजरेटर, ए०सी०, वॉशिग मशीन तथा माइक्रोबेव ओवन की मरम्मत तथा रख-रखाब का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

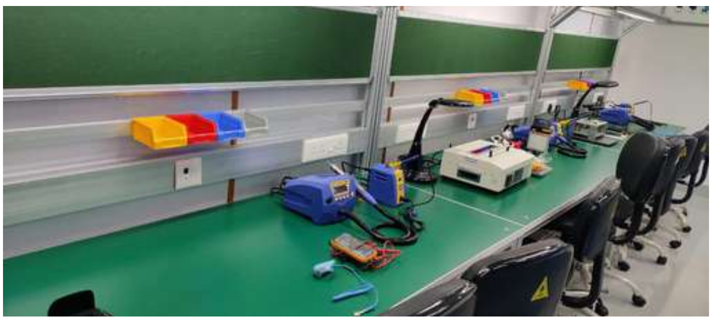

13. अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (All India Trade Test)-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों हेतु परीक्षा वार्षिक आधार पर होती है अर्थात एक वर्षीय व्यवसायों की परीक्षा एक बार तथा द्विवर्षीय व्यवसायों हेतु 02 बार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार द्वारा NCVET अंकपत्र व प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाता है। सत्र 2014 से भारत सरकार द्वारा e-marksheet एवं e-certificate उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो कि परीक्षा सम्पादित होने पर काफी कम समय में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाते है तथा उनका सत्यापन भी पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की यह एक ऐसी परीक्षा है जो पूर देश में एक ही साथ, एक ही समय पर, एक जैसे पाठ्यचर्या पर आधारित प्रश्न-पत्र पर आयोजित होती है। प्रशिक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली स्तर से होता है।

14. संस्थानों में न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता -

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थियों हेतु वार्षिक अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित होने तथा उत्तीर्ण होने की स्थिति में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में प्रशिक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें। यदि कोई प्रशिक्षार्थी बिना किसी सूचना के लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके नाम एक चेतावनी पत्र देने के उपरांत अनुपस्थिति के संतोषजनक कारण सहित संस्थान में उपस्थित न होने पर संस्थान से नाम पृथक कर दिया जायेगा। प्रशिक्षार्थियो को प्रशिक्षण अवधि में वार्षिक रूप से 12 दिन का आकस्मिक अवकाश जोकि एक बार में 10 दिन से अधिक न हो, पंजीकृत मेडिकल डॉक्टर से संस्तुति के आधार पर किसी बीमारी हेतु 15 दिन का मेडिकल जोकि एक वर्ष के कोर्स के लिये 03 सप्ताह व दो वर्ष के कोर्स के लिये 06 सप्ताह तक संस्थान के प्रमुख द्वारा स्वः विवेकानुसार अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है एवं 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश जोकि 15 दिन तक अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है।

15. कैरियर उन्नयन (Career Progression) के अवसर -

क- आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियो को 10वीं/ 12वीं उत्तीर्ण की समतुल्यता- उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्होंने कक्षा-8 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०वी०टी०) उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10) एवं इण्टरमीडिएट (12) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे तथा जिनके द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (12) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर की क्रमशः हाईस्कूल (कक्षा-10) एवं इण्टरमीडिएट (12) के समकक्ष माना जायेगा।

ख - आई०टी०आई० के साथ-साथ शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि के अवसर - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए National Institute of Open Schooling (NIOS) अवसर प्रदान करता है। आई०टी०आई० के अध्ययनरत् प्रशिक्षार्थी सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी करने के अवसर का लाभ उठा सकते है एवं समय बचा सकते है। आई०टी०आई० के अध्ययनरत् अभ्यर्थी जो आठवीं पास है वे दसवीं की परीक्षा दे सकते है तथा जो 10वीं पास है वे 12वीं की

परीक्षा दे सकते है जिसके आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने होते है। अभ्यर्थी एक भाषा व एक वर्षीय अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते है एवं 3 वर्षीय आई०टी०आई० के क्रेडिट किये जाते है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा द्वारा वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (NIOS) नोएडा के वेबसाइट www.nios.ac.nic पर यह सुविधा उपलब्ध है। जिससे प्रशिक्षार्थी आई०टी०आई० में प्रशिक्षण प्राप्त करते-करते ही अपनी शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि कर सकता है।

ग- प्रशिक्षण पूर्ण करने पर पॉलीटेक्निक में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश के अवसर - ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी लेटरल एन्ट्री परीक्षा के माध्यम से द्वितीय वर्ष में पॉलीटेक्निक में प्रवेश ले सकता है और पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण करने के उपरान्त इंजीनियरिंग संस्थानों में भी सीधे बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर अच्छा रोजगार प्राप्त कर अपने भविष्य में उत्तरोत्तर गणात्मक सुधार ला सकता है।

घ- अग्निपथ (Agnipath) योजना- भारत सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विशेष प्राथमिकता एवं अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं, जिससे भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चयन की संभावना काफी बढ जाती है। मान्यता प्राप्त आईटीआई के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम धारकों को 30 अतिरिक्त अंक तथा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम धारकों को 40 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। तकनीकी दक्षता के कारण आईटीआई प्रशिक्षु सेना की तकनीकी भूमिकाओं के लिए अधिक सक्षम माने जाते हैं, जिससे उन्हें चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक बढत प्राप्त होती है।

आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक मशीनों, उपकरणों एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इससे वे न केवल सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। अग्निवीर सेवा पूर्ण होने के बाद भी आईटीआई की तकनीकी योग्यता युवाओं को उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य रोजगार क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्रदान करती है। इसलिए आईटीआई प्रशिक्षण, कौशल विकास, सम्मानजनक रोजगार और भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट एवं दूरदर्शी विकल्प है।
"आईटीआई करें – कौशल पाएं, रोजगार बढाएं और अग्निवीर बनकर राष्ट्र सेवा का गौरव प्राप्त करें।" -

16. रोजगार के अवसर

(1) आईटीआई से प्रशिक्षण / शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थी देश-विदेश के विभिन्न सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों जैसे रेलवे, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, जल संस्थान, जल निगम, लघु जल विद्युत परियोजना, एनएचपीसी, बीएचईएल, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम, ओ०एन०जी०सी० आदि विभागों में रोजगार पाने के लिए अर्ह होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों जैसे स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रीयल असिस्टेन्ट, कोपा आदि व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों के लिए भी सरकारी / गैरसरकारी/ निजी क्षेत्रों में रोजगार के कई सुअवसर उपलब्ध होते हैं। जिस हेतु भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में भी छज्ज प्राप्त अभ्यर्थियों, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से सुविधा होती है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेषतः फैशन डिजाईन टैक्नोलॉजी, बैसिक कॉस्मोटालॉजी, स्वीईंग टैक्नोलॉजी, ड्रैसमेकिंग, कोपा आदि जैसे व्यवसाय सार्थक सिद्ध हो रहे है।

(2) आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ देश में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध है। जैसे-मारुति सुजूकी इण्डिया लि०, मै० टाटा मोटर्स, मै० अशोका लेलैण्ड, मै० हीरो मोटोकॉर्प, मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, होण्डा, जे०सी०बी०, वॉल्वो, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आई०टी०सी०लि०, मै० इण्डियाग्लाइकोल्स, मै० जैक्वार, एचएमटी आदि।

(3) प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त Craftsman Instructor Training Scheme (CITS) कर आई०टी०आई० में अनुदेशक के पद पर नियुक्त होने के अवसर भी प्राप्त होते है। आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी एक वर्षीय सी.आई.टी.एस प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। सी.आई.टी.एस प्रशिक्षण की सुविधा भिन्न-भिन्न व्यवसायों में देश के विभिन्न शहरों में जैसे-देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, चैन्नई, जोधपुर, कालीकट आदि में उपलब्ध है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक पद पर नौकरी पाने के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक व अनुभव के साथ-साथ सी०आई०टी०एस० प्रशिक्षण भी अनिवार्य होता है।

17. स्वरोजगार के अवसर -

आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अपने कौशल विकास के जरिये विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्युतकार, प्लम्बिंग ऑटोमोबाईल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कारपेन्टर, पेन्टर, ऑटो बॉडी पेन्टिंग, ऑटो बॉडीरिपेयर, रेफ्रीजरेशन, स्वीईग, ब्यूटीशियन आदि में अपना स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर स्वतः रोजगार प्राप्त कर सकते है। सफल उद्यमी जहाँ एक ओर स्वतः रोजगार अपना कर अपना सफल जीवन निर्वाह करने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर उनके जीविकोपार्जन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। वर्तमान में कई आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी स्वतः रोजगार के जरिए देश-विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे है।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर Submit (जमा) करने पर अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपवन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये है या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तन करें या नवीनतम् नियम लागू करें।

2. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यह देखा गया है कि अभ्यर्थी अन्य वर्ग वरीयता कालम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं। जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग वरीयता का चयन करें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन-पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन Submit करने के बाद संशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण अस्पष्ट सूचना के कारण अभ्यर्थी को होने वाली हानि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण अस्पष्ट गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में संस्थान एवं व्यवसाय आदि का चयन सावधानीपूर्वक करें। इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल अभ्यर्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।

6. वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून में स्थित न्यायालय ही मान्य है। अभ्यर्थियों के प्रदेश के सम्वन्ध में परिषद / विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थी परिषद / विभाग के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।

Industrial Training Institute

7. यदि राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा चयनित किसी अभ्यर्थी की प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिवन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद द्वारा संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व परिषद / विभाग / संस्थान का नहीं होगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

8. विवरण पुस्तिका के अतिरिक्त व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तराखण्ड अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्था-प्रकाशक को अभ्यर्थिवों के मार्ग दर्शन (गाइडेंस) हेतु किसी प्रकार की पुस्तिका प्रकाशन अथवा मुद्रण का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई संस्था, परिषद के नाम का दुरूपयोग करती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

नोट- इस विवरणी में समय-समय पर अपेक्षित संशोधन किये जा सकते हैं।
संशोधित विवरणी वेबसाइटः www.vpputtarakhand.in पर उपलब्ध होगी।

Industrial Training Institute

Industrial Training Institute

उत्तराखण्ड राज्य

NATIONAL APPRENTICESHIP PROMOTION SCHEME
NAPS
On the job skilling

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

प्रशिक्षण प्रखण्ड, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, देहरादून उत्तराखण्ड